



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 31 जनवरी 2026 ई० (माघ 11, 1947 शक संवत्) [संख्या 05

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

| विषय                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा | विषय                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य                                                                                                                                                                             |              | रु०           |                                                                                                                                                                                                                              |              | रु०           |
| भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस                                                                                                     | 61-68        | 3075          | भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                                                         | ...          | 975           |
| भाग 1-क- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया                                     | 75-80        | 1500          | भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये<br>(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट<br>क-भारतीय संसद के ऐक्ट                                                              | ...          | 975           |
| भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                   |              |               | भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये                                                                                                                                       |              |               |
| भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                          |              |               | (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट                                                                                                                                                                                              |              |               |
| भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | ...          | 975           | भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट<br>भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां                                                                                             | ...          | 975           |
| भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत                                                                                                   | ...          | 975           | भाग 8-नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 329-374      | 975           |
| भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                         | ...          | 975           | स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र                                                                                                                                                                                          | ...          | 1425          |

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश**

अधिष्ठात-अनुभाग

14 नवम्बर, 2024 ई०

सूचना

सं० I/23063/2024-एम०जी०ओ० के प्रस्तर-250(2) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि "सुश्री अनीता सिंह यादव", अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय का नाम विवाहोपरान्त "श्रीमती अनीता सिंह यादव" हो गया है।

**विज्ञप्ति/प्रकीर्ण**

02 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० I/23454/2024-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत श्रीमती मंजू जायसवाल, संयुक्त सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी करने के उपरान्त दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गयी।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

**गोपन विभाग**

अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

30 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० 870/2024-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी०एक्स(1)-मा० न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-1, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                  |
| 1       | दिनांक 27 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश। |
| 2       | दिनांक 10 मई, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।     |

| 1 | 2                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | दिनांक 27 मई, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।                     |
| 4 | दिनांक 29 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ देय अवकाश। |
| 5 | दिनांक 01 जुलाई, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।                  |

कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

### अधिसूचना

05 मई, 2025 ई0

सं0 358/2025-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स(1)–(1) श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, (2) श्री अनिल कुमार-X, (3) श्री संदीप जैन, (4) श्री अवनीश सक्सेना, (5) श्री मदन पाल सिंह तथा, (6) श्री हरवीर सिंह, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2025 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव।

13 अगस्त, 2025 ई0

सं0 341/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                       |
| 1       | दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                     |
| 2       | दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                     |
| 3       | दिनांक 05 नवम्बर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 4       | दिनांक 19 नवम्बर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 5       | दिनांक 25 नवम्बर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 6       | दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                     |
| 7       | दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 से 17 दिसम्बर, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश। |

सं0 408/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री राजन राय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                        |
| 1       | दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 से 11 दिसम्बर, 2024 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश। |

सं0 429/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                      |
| 1       | दिनांक 11 नवम्बर, 2024 से 14 नवम्बर, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश। |

सं0 430/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति सुश्री नन्द प्रभा शुक्ला, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                      |
| 1       | दिनांक 10 फरवरी, 2025 से 11 फरवरी, 2025 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।  |
| 2       | दिनांक 13 फरवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।  |
| 3       | दिनांक 17 फरवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश। |

सं0 434/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                       |
| 1       | (1) दिनांक 04 मार्च, 2025 से 12 मार्च, 2025 तक 09 (नौ) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश। |

सं0 435/2025-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-I, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                      |
| 1       | दिनांक 09 जनवरी, 2025 से 10 जनवरी, 2025 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।    |
| 2       | दिनांक 15 जनवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 3       | दिनांक 21 जनवरी, 2025 से 23 जनवरी, 2025 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।   |
| 4       | दिनांक 31 जनवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 5       | दिनांक 10 फरवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 6       | दिनांक 14 फरवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 7       | दिनांक 19 फरवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 8       | दिनांक 24 फरवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 9       | दिनांक 27 फरवरी, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 10      | दिनांक 11 मार्च, 2025 से 12 मार्च, 2025 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।    |
| 11      | दिनांक 17 मार्च, 2025 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।                      |
| 12      | दिनांक 20 मार्च, 2025 से 21 मार्च, 2025 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।    |
| 13      | दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 04 अप्रैल, 2025 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश। |

कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

## लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

अनुभाग-11

28 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 413/2023/209(8)/23-11099(099)/337/2023-श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/44/2023-एम एण्ड जी, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में जनपद अयोध्या में स्थित अयोध्या जंक्शन का नाम निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष परिवर्तित करते हैं-

| रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम | रोमन लिपि में रेलवे स्टेशन के नये नाम की वर्तनी | देवनागरी लिपि में रेलवे स्टेशन के नये नाम की वर्तनी |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                               | 3                                                   |
| अयोध्या जंक्शन              | AYODHYA DHAM JUNCTION                           | अयोध्या धाम जंक्शन                                  |

आज्ञा से,  
अजय चौहान,  
प्रमुख सचिव।

## LOK NIRMAN VIBHAG

### ANUBHAG-11

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification No.- 413 /2023/209(VIII)/23-11099(099)/337/2023 Dated 28 December, 2023 for general information.

### NOTIFICATION

28 December, 2023

**No. 413/2023/209(VIII)/23-11099(099)/337/2023**—The Governor of Uttar Pradesh is pleased to change the name of the Railway station situated in District Ayodhya, Uttar Pradesh as per following schedule from the Date of issuance of this notification, as per No Objection received *vide* Ministry of Home Affairs, Government of India's letter No.-11/44/2023-M&G, Dated 27 December, 2023 :

### SCHEDULE

| Existing Name of Railway Station | Spelling of the New Name of Railway Station in Roman Script | Spelling of the New Name of Railway Station in Devnagri Script |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                           | 3                                                              |
| अयोध्या जंक्शन                   | AYODHYA DHAM JUNCTION                                       | अयोध्या धाम जंक्शन                                             |

By Order,  
Ajay Chauhan,  
*Principal Secretary.*

13 मार्च, 2024

### अधिसूचना

सं० 92 / 2024 / 23(8) / 23-11-11099(099) / 198 / 2023—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11 / 34 / 2023-एम एण्ड जी, दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में जनपद अमेठी में स्थित रेलवे स्टेशनों के नाम निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष परिवर्तित करते हैं—

| क्रम सं० | रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम | रोमन लिपि में रेलवे स्टेशन के नये नाम की वर्तनी | देवनागरी लिपि में रेलवे स्टेशन के नये नाम की वर्तनी |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                                               | 4                                                   |
| 1.       | कासिमपुर हॉल्ट              | JAIS CITY                                       | जायस सिटी                                           |
| 2.       | जायस रेलवे स्टेशन           | GURU GORAKHNATH DHAM                            | गुरु गोरखनाथ धाम                                    |
| 3.       | बनी रेलवे स्टेशन            | SWAMI PARAMHANS                                 | स्वामी परमहंस                                       |
| 4.       | मिसरौली रेलवे स्टेशन        | MAA KALIKAN DHAM                                | माँ कालिकन धाम                                      |
| 5.       | निहालगढ़ रेलवे स्टेशन       | MAHARAJA BIJLI PAŚI                             | महाराजा बिजली पासी                                  |
| 6.       | अकबरगंज रेलवे स्टेशन        | MAAAHORWA BHAWANI DHAM                          | माँ अहोरवा भवानी धाम                                |
| 7.       | वारिसगंज रेलवे स्टेशन       | AMAR SHAHID BHALE SULTAN                        | अमर शहीद भाले सुल्तान                               |
| 8.       | फुरसतगंज रेलवे स्टेशन       | TAPESHWARNATH DHAM                              | तपेश्वरनाथ धाम                                      |

आज्ञा से,  
अजय चौहान,  
प्रमुख सचिव।

## LOK NIRMAN VIBHAG

### ANUBHAG-11

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No.-92/2024/23(VIII)/23-11099(099)/198/2024, Dated 13 March, 2024 for general information.

### NOTIFICATION

13 March, 2024

**No. 92/2024/23(VIII)/23-11099(099)/198/2024**—The Governor of Uttar Pradesh is pleased to change the name of the Railway stations situated in District Amethi, Uttar Pradesh as per following schedule from the Date of issuance of this notification, As per No Objection received *vide* Ministry of Home Affairs, Government of India's letter No.-11/34/2023-M&G, Dated 08 March, 2024 :

### SCHEDULE

| Sl. No. | Existing Name of Railway Station | Spelling of the New Name of Railway Station in Roman Script | Spelling of the New Name of Railway Station in Devnagri Script |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                | 3                                                           | 4                                                              |
| 1       | कासिमपुर हॉल्ट                   | JAIS CITY                                                   | जायस सिटी                                                      |
| 2       | जायस रेलवे स्टेशन                | GURU GORAKHNATH DHAM                                        | गुरु गोरखनाथ धाम                                               |
| 3       | बनी रेलवे स्टेशन                 | SWAMI PARAMHANS                                             | स्वामी परमहंस                                                  |
| 4       | मिसरौली रेलवे स्टेशन             | MAA KALIKAN DHAM                                            | माँ कालिकन धाम                                                 |

| 1 | 2                     | 3                        | 4                     |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5 | निहालगढ़ रेलवे स्टेशन | MAHARAJA BIJLI PAŚI      | महाराजा बिजली पासी    |
| 6 | अकबरगंज रेलवे स्टेशन  | MAA AHORWA BHAWANI DHAM  | माँ अहोरवा भवानी धाम  |
| 7 | वारिसगंज रेलवे स्टेशन | AMAR SHAHID BHALE SULTAN | अमर शहीद भाले सुल्तान |
| 8 | फुरसतगंज रेलवे स्टेशन | TAPESHWARNATH DHAM       | तपेश्वरनाथ धाम        |

By Order,  
Ajay Chauhan,  
Principal Secretary.

अनुभाग-8  
16 अगस्त, 2024 ई०  
कार्यालय ज्ञाप

सं० 766/23-8-2024—तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्येन्द्र नाथ, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को प्रान्तीय खण्ड, कर्वी, (चित्रकूट) से स्थानान्तरित करते हुए प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, लखनऊ में एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— संबंधित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेगे।

अनुभाग-1  
18 फरवरी, 2025 ई०  
अधिसूचना

सं० 99/2025/आई/875327/23-1-25-23-1099/4/2024—जनपद आजमगढ़ में सरायमीर नन्दाव मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का नामकरण “शहीद हवलदार कृपाशंकर मार्ग” (कुल लम्बाई 10.500 कि०मी०) किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं०-आई/28124/2023, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं—

| क्रमांक | जनपद   | मार्ग का नाम                                                         | नामकरण                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | 2      | 3                                                                    | 4                            |
| 1       | आजमगढ़ | सरायमीर नन्दाव मार्ग (अन्य जिला मार्ग)<br>(कुल लम्बाई 10.500 कि०मी०) | “शहीद हवलदार कृपाशंकर मार्ग” |

आज्ञा से,  
प्रभुनाथ,  
विशेष सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 जनवरी, 2026 ई० (माघ 11, 1947 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का  
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19

#### अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 1372(VII)/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ-अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा-मल्हौर रेल सेक्शन के किमी० 1084/15-17 पर स्थित सम्पार संख्या-186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद लखनऊ तहसील सदर परगना लखनऊ ग्राम भरवारा की 0.0041 हे० की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-1203/08-अ०जि०अ०(भू०अ०), शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 24.09.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से कार्यालय के पत्र सं०-1204/08-अ०जि०अ० (भू०अ०), शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 24.09.2025 को निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक-03.12.2025 पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने

का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के सारांश के वर्णित भूमि का क्षेत्रफल व परिवारों के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

### अनुसूची

| क्र०<br>सं० | जिला | तहसील | ग्राम का नाम | गाटा संख्या/<br>प्लॉट संख्या | अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2    | 3     | 4            | 5                            | 6                                  |
|             |      |       |              |                              | हेक्टर                             |
| 1           | लखनऊ | सदर   | भरवारा       | 591<br>(2/150, 2/151)        | 0.0041                             |
|             |      |       |              | कुल योग                      | 0.0041                             |

**टिप्पणी :-** उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं०-40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

विशाख जी,  
कलेक्टर,  
लखनऊ।

24 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 1385(VII)/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ-अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर रेलवे के दिलकुशा-मल्हौर रेल सेक्शन के किमी० 1084/15-17 पर स्थित सम्पार संख्या-186 पर स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए जनपद लखनऊ तहसील सदर परगना लखनऊ ग्राम भरवारा की 0.0049 हे० की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-1319/08-अ०जि०अ०(भू०अ०), शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 18.10.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से कार्यालय के पत्र सं०-1320/08-अ०जि०अ० (भू०अ०), शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 18.10.2025 को निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.12.2025 पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के सारांश के वर्णित भूमि का क्षेत्रफल व परिवारों के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

## अनुसूची

| क्र०<br>सं० | जिला | तहसील | ग्राम का नाम | गाटा संख्या/<br>प्लॉट संख्या | अर्जन हेतु<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल |
|-------------|------|-------|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2    | 3     | 4            | 5                            | 6                                  |
|             |      |       |              |                              | हेक्टर                             |
| 1           | लखनऊ | सदर   | भरवारा       | 589<br>(2/51)                | 0.0049                             |
| कुल योग     |      |       |              |                              | 0.0049                             |

**टिप्पणी** :- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं०-40, कलेक्टर, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

विशाख जी,  
कलेक्टर,  
लखनऊ।

## कार्यालय, जिलाधिकारी, बहराइच

(भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना)

## अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 639/वि०भू०अ०अ०-बहराइच-भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बहराइच के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जनपद-बहराइच में भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा के निकट बहुउद्देशीय हब निर्माण हेतु ग्राम-कलवारी, गबरखा व भवनियापुर टिकुरी परगना-चर्दा, तहसील-नानपारा, जनपद-बहराइच में रकबा 1.2495 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर बहराइच) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है। जिसे कलेक्टर बहराइच द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है-

“अग्रिमा ट्रस्ट, डी 152 थर्ड फ्लोर स्ट्रीट नं० 15 वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली” द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से किया गया है। अध्ययन पद्धति में

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में भू-स्वामियों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्राम के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है। वर्तमान समय में परियोजना हेतु प्रस्तावित ग्राम-कलवारी, गबरखा व भवनियापुर टिकुरी, परगना-चर्दा, तहसील-नानपारा जनपद-बहराइच में रकबा 1.2495 हे0 भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या-30 सन 2013) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किया जाना है।

बहुउद्देशीय हब में पड़ोसी देशों और राज्यों से आने-जाने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। यहाँ पर प्रदेश की अच्छी छवि बनाने और यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, बाजार, किसान मंडी, मनोरंजन की सुविधाएं, विश्राम के लिए होटल, रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। जो जनहित में प्रभावी होंगे।

इस परियोजना से शहर और उसके निवासियों के साथ-साथ बहराइच आने वाले पर्यटकों/यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके निर्माण से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन विकास, कनेक्टिविटी, आपातकालीन सेवाओं आदि में निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा साथ ही परियोजना के निर्माण से संभावित सकारात्मक प्रभावों में से कुछ इस प्रकार हो सकते हैं—

बहुउद्देशीय हब में पड़ोसी देशों और राज्यों से आने-जाने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक बस-स्टैंड बनाये जाएंगे।

आर्थिक गतिविधि के साथ साथ रोजगार उपार्जन में भी यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी।

यहाँ पर प्रदेश की अच्छी छवि बनाने और यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, बाजार, किसान मंडी, मनोरंजन की सुविधाएं, विश्राम के लिए होटल, रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। जो जनहित में प्रभावी होंगे।

बहुउद्देशीय हब परिसर में प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। साथ ही मार्गों पर भी दोनों ओर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाते हुए खम्भे भी लगाए जाएंगे जो देश व प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह प्रतिकूल द्वारा सामाजिक प्रभावों को कम करने सम्बन्धी उपर्युक्त सुझावों को लागू करने कि प्रबल अनुशंसा करते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के तहत निम्न मत व्यक्त किया गया है—

- अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय हब की प्रक्रिया में शामिल नानपारा तहसील के 03-ग्रामों की 1.2495 हेक्टेयर भूमि का अर्जन अधिग्रहण किया जाना जनहित में है।

- परियोजना के निर्माण से संभावित लाभ भूमि के अर्जन से प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कही अधिक है।

● भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापित में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अनुपालन हेतु उपरोक्त अधिग्रहण में भूमि के न्यूनतम से न्यूनतम भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रभावित लोगों की जायज मांगों के अनुरूप भूमि अधिग्रहण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4- भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं—

| जनपद   | तहसील   | परगना | ग्राम            | भू-खण्ड सं०  | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|--------|---------|-------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 1      | 2       | 3     | 4                | 5            | 6                               |
|        |         |       |                  |              | हेक्टेयर                        |
| बहराइच | नानपारा | चर्दा | भवनियापुर टिकुरी | 15मि०        | 0.2355                          |
|        |         |       | कलवारी           | 941मि०       | 0.5770                          |
|        |         |       | गबरखा            | 48           | 0.2270                          |
|        |         |       |                  | 84 / 2       | 0.2100                          |
|        |         |       |                  | <b>योग .</b> | <b>1.2495</b>                   |

6- अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि का समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

7- अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8- अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,  
बहराइच।

## कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद

## शुद्धि-पत्र

18 अक्टूबर, 2025 ई०

सं० 627/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2025—उत्तर प्रदेश राजकीय गजट दिनांक 18 अक्टूबर 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक संवत्) के संस्करण में भाग 1-क हिन्दी खण्ड में प्रकाशित प्रारूप 19 नियम-27 का उपनियम (1) समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा (अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना की पृष्ठ सं० 1044 पर अनुसूची-क में क्रम सं०-2 में तहसील-बिलारी व क्रम सं०-3 में परगना-कुन्दरकी एवं पृष्ठ संख्या 1046 पर अंग्रेजी में क्रम सं०-2 में तहसील-बिलारी व क्रम सं०-3 में परगना-कुन्दरकी त्रुटिवश छपा है।

अतः भाग 1-क हिन्दी खण्ड में प्रकाशित अनुसूची की पृष्ठ संख्या-1044 पर अनुसूची की क्रम संख्या-2 पर तहसील-मुरादाबाद व अनुसूची की क्रम संख्या-3 पर परगना-मुरादाबाद पढ़ा जाए एवं पृष्ठ संख्या 1046 पर अंग्रेजी में क्रम सं०-2 में तहसील-मुरादाबाद व क्रम सं०-3 में परगना-मुरादाबाद पढ़ा जाए।

(ह०) अस्पष्ट,

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 31 जनवरी, 2026 ई० (माघ 11, 1947 शक संवत्)

### भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

#### NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,  
Director.

### कार्यालय उ०प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ

02 दिसम्बर, 2026

#### सूचना

सं० 820 उ०प्र० शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में सेण्ट्रल वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित 2025) की धारा-65 के अन्तर्गत लिये गए निर्णयानुसार एवं औपचारिकाएँ पूर्ण करते हुए निम्नलिखित अवकाफ को सीधे नियन्त्रण में लेते हुए वक्फ की सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है।

| क्र०सं० | वक्फ का नाम         | पंजीकरण संख्या | जनपद   |
|---------|---------------------|----------------|--------|
| 1.      | वक्फ नूरी नासिर बाग | T-1482         | आगरा   |
| 2.      | वक्फ मनसबिया        | T-584          | मेरठ   |
| 3.      | वक्फ कुलसूम हसनी    | T-2075         | अलीगढ़ |

(जीशान रिजवी)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
उ०प्र०, शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।

## कार्यालय, नगर पालिका परिषद, आंवला, बरेली

29 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 487/पालिका/वायलॉज/2025-26—नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या—2, 1916) की धारा-298(2)(ड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पालिका परिषद, आंवला अपनी सीमा में अनियोजित कालोनियों पर नियन्त्रण सम्बन्धी कालोनी विकास उपविधि-2023 बनायी है, जिसे नगर पालिका परिषद, आंवला की बोर्ड की बैठक दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के प्रस्ताव संख्या-06 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अनुसार कार्यालय पत्रांक संख्या-444/पालिका/वायलॉज/2025-26 दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के क्रम में “दैनिक समाचार-पत्र” हिन्दुस्तान व ई0एन0आई0 के बरेली अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियामावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है। 15 दिवस के अन्तर्गत अपनी आपत्ति कार्यालय को प्राप्त करा दें। नियत समयावधि में पालिका को कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होने की दशा में अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के उप-खण्ड-दो के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है—

### कालोनी विकास सम्बन्धी उपविधि-2023

**1— शीर्षक—**यह नियमावली नगर पालिका परिषद, आंवला की कालोनी विकास सम्बन्धी उपविधि-2023 कहलायी जायेगी।

**2— प्रकृति—** यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से नगर पालिका परिषद, आंवला की सीमा में प्रभावी होगी।

**3— परिभाषाएं—** जब तक विषय से प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियामावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आंवला, जिला-बरेली के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आंवला, जिला बरेली के बोर्ड से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आंवला, जिला-बरेली के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आंवला, जनपद-बरेली से है।

(च) नगर पालिका की सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

**4— उद्देश्य—**नगर पालिका परिषद, आंवला, जिला-बरेली की सीमान्तर्गत विकसित हो रही अनियोजित कालोनियों पर नियन्त्रण तथा मानकों के अनुरूप विकसित किया जाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

**5— किस पर लागू होगी—** यह नियमावली उन सभी (सरकारी एजेन्सी से भिन्न) डेवलपर्स पर लागू होगी जो ग्रुप हाउसिंग या निजी कालोनियों का विकास करके बिक्री प्लॉट के रूप में करते हैं। निजी कालोनियों के न्यूनतम सीमा एक बीघा/632 वर्गमीटर या 03 प्लॉट से अधिक क्षेत्र की होगी।

**6— विकासकर्ता के दायित्व—** निजी कालोनी विकासकर्ताओं को कालोनी का विकास करने से पूर्व नगर पालिका परिषद, आंवला, बरेली से ले-आउट पास कराना अनिवार्य होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा महायोजना-आंवला लागू किए जाने के उपरान्त विनियमित क्षेत्र से ले-आउट पास कराना होगा।

**7— ले-आउट प्लान हेतु आवश्यक शर्तें—** ले-आउट प्लान कम से कम एक बीघा/632 वर्गमीटर या 03 प्लॉट से अधिक क्षेत्र के लिए। विकसित की जा रही कालोनी में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएँ जैसे—सड़क, जल-निकासी, पेयजल व स्ट्रीट लाइट सम्बन्धी बिन्दु अनिवार्य रूप से शामिल किये जायेंगे।

(क) **सड़क—** विकसित की जा रही सड़कों की चौड़ाई कालोनी के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर निश्चित की जायेगी।

| क्रम सं० | सड़क का प्रकार    | 3,000 वर्गमीटर से कम | 3,000 वर्गमीटर से अधिक |
|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2                 | 3                    | 4                      |
| 1.       | मुख्य मार्ग       | 08 मीटर              | 10 मीटर                |
| 2.       | लूप स्ट्रीट       | 06 मीटर              | 08 मीटर                |
| 3.       | व्यवसायिक क्षेत्र | 10 मीटर              | 12 मीटर                |

सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जायेंगे, जिसमें फुटपाथ का प्रावधान किया जायेगा, जिससे वृक्षारोपण किया जा सके। अनावासीय क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई किसी भी दशा में 10 मीटर से कम नहीं होगी।

(ख) **पार्क—** विकसित की जा रही कालोनियों के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 05 प्रतिशत या उससे अधिक भाग ग्रीन क्षेत्र के रूप में आरक्षित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित भाग एक या एक से अधिक स्थानों पर हो सकता है।

(ग) **जल-निकासी—** नालियाँ, सड़क का अनिवार्य भाग होंगी जिसमें पर्याप्त ढाल होगा। कालोनी की समस्त नालियों को नगर पालिका के मुख्य नाले से जोड़ने का दायित्व कालोनी विकास कर्ता का होगा।

(घ) **स्ट्रीट-लाईट—** विकसित की जा रही कालोनी में स्ट्रीट-लाईट हेतु पोल व लाईट लगाने का दायित्व कालोनी विकासकर्ता का होगा।

(ङ) **पेयजल—** पेयजल हेतु सम्पूर्ण-क्षेत्र में पानी पाईप लाईन डालने का कार्य तथा प्रत्येक घर में कनेक्शन उपलब्ध कराने का दायित्व कालोनी विकासकर्ता का होगा। आवश्यकता पड़ने पर पेयजल पम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु भूमि सुरक्षित करनी आवश्यक होगी, जिसका उपयोग भविष्य में नगर पालिका द्वारा किया जा सकेगा।

(च) **जल-संरक्षण—** विकसित की जा रही कालोनी में 300 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट उपलब्ध होने पर जल-संरक्षण/वाटर रिचार्ज हेतु प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।

**8— अनुमति शुल्क—** नगर पालिका क्षेत्र में कालोनी विकसित किये जाने से पूर्व नगर पालिका से ले-आउट पास कराना अनिवार्य होगा। कालोनी विकासकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से निर्मित ले-आउट प्लान दो प्रतियों में नगर पालिका में प्रस्तुत करने पर अवर अभियन्ता द्वारा उसकी जांच की जायेगी। तत्पश्चात् अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने हेतु दरें निम्नवत होंगी—

(क) शून्य से 3,000 वर्गमीटर तक— 10,000.00 रुपये।

(ख) 3001 वर्गमीटर से 6,000 वर्गमीटर तक— 20,000.00 रुपये।

(ग) 6,001 वर्गमीटर से अधिक— 30,000.00 रुपये।

**9— विशेष शुल्क—** कालोनी विकासकर्ता व्यक्ति/फर्म द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या-07 में वर्णित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना अनिवार्य होगा। यदि फर्म/व्यक्ति द्वारा मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं किया जाता है, तो पालिका के अवर अभियन्ता द्वारा इस सम्बन्ध में आगणन-पत्र तैयार किया जायेगा, जिसका 15 प्रतिशत धनराशि पालिका कोष में जमा करने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान/मानचित्र नगर पालिका द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। नगर पालिका द्वारा कालोनी में 25 प्रतिशत आवास निर्मित हो जाने के उपरान्त ही मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना शुरू की जायेंगी।

**10— अन्य प्रावधान—**

(क) व्यक्ति/फर्म द्वारा नई कालोनी का नाम व उसके मानचित्र की दो प्रति नगर पालिका परिषद, आंवला से स्वीकृत कराना अति-आवश्यक होगा एवं एक प्रति पालिका कार्यालय में जमा करनी आवश्यक होगी।

(ख) व्यक्ति/फर्म द्वारा किसी भी नई कालोनी का नाम ऐसा नहीं रखा जायेगा कि किसी भी धर्म/जाति के व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे।

(ग) किसी भी विशेष परिस्थिति में नियमों/शर्तों में बदलाव करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(घ) कालोनी में बनने वाले समस्त भवनों का मानचित्र विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत कराने से पूर्व नगर पालिका परिषद, आंवला से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्राप्त करने की दरे निम्नवत् होगी—

(i) शून्य से 100 वर्गमीटर तक (आवासीय) 1,000.00 रुपये।

(ii) 101 वर्गमीटर से अधिक प्रति 100 वर्गमी0 1,000.00 रुपये।

(iii) व्यवसायिक भवन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की दर उपरोक्त की दो गुना होगी।

(ङ) व्यक्ति/फर्म द्वारा जिस भूमि का प्रयोग कालोनी विकास में किया जायेगा वह भूमि अकृषिक होनी चाहिए।

(च) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा महायोजना-आंवला लागू होने के उपरान्त प्रस्तुत नियमावली महायोजना के अनुसार संशोधित मानी जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट,  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद,  
आंवला-बरेली।

**कार्यालय नगर पंचायत घोसिया, भदोही**

10 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 584/न0पं0 घोसिया/2025-26—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत घोसिया बाजार, जनपद भदोही की बोर्ड बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णय द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि नियमावली-2025 प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय पत्र संख्या-429/न0पं0 घोसिया/2025-26 दिनांक 18 अगस्त, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों “अमर उजाला” व “काशीवार्ता” में दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उपविधियों का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अन्दर आमन्त्रित किया गया था, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। बोर्ड बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2024 को प्रस्ताव संख्या-6 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को सर्वसम्मति से प्रकाशन की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**भवन निर्माण उपविधि-2025**

1— **शीर्षक**— यह उपविधि नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2025 कहलाएगी।

2— **प्रकृति**— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही में प्रभावी रहेगी।

3- **परिभाषायेँ**— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

- 1- “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या-2, 1916 से है।
- 2- “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही के अधिशाली अधिकारी से है।
- 3- “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही के बोर्ड/समिति से है।
- 4- “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- 5- “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही से है।
- 6- “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4- **नोटिस**— यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त ऐक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

### नियम एवं शर्तें

**नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगा—**

(क)— **स्थल का मानचित्र**— अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे—

- 1- स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।
- 2- स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू विन्यास या भूखण्डों का विभाजन।
- 3- समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।
- 4- भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- 5- विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।
- 6- स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।
- 7- प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।
- 8- यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक्-पृथक् परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)— **भवनों का मानचित्र**— भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिए। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे—

- 1- प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।
- 2- नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3— शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4— मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जाएगा।

5— भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट-बैक भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की प्लान, साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6— मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7— मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएंगे।

8— उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग)— अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे—

1— भवन का उद्देश्य।

- स्वयं रहने के लिए।
- व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।
- उद्योग धन्धों के लिए।
- रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना पत्र में दर्शाया जाएगा।

5— प्लान— इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6— मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जाएगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

7— शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

| क्रम सं० | भवन/भू-खण्ड का प्रकार (कुल लागत के अनुसार दर पी०डब्ल्यू०डी०/बीडा के आधार पर देय) | भूतल       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                | 3          |
| 1        | निवासीय भवन (10 लाख तक)                                                          | 0.5% (आधा) |
| 2        | निवासीय भवन (20 लाख तक)                                                          | 1%         |
| 3        | व्यवसायिक भवन दुकान कबर्ड एरिया (20 लाख तक)                                      | 1%         |
| 4        | व्यवसायिक भवन दुकान (50 लाख तक)                                                  | 1.5%       |
| 5        | वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि कबर्ड एरिया (30 लाख से अधिक)                      | 2%         |
| 6        | वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया) (30 लाख से अधिक)                      | 2%         |
| 7        | भू-खण्ड/प्लॉटिंग एरिया                                                           | 1%         |

- लेबर सेस 1% अतिरिक्त शुल्क देय होगा। (रु० 10.00 लाख तक छूट)

• मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क 5,000.00 रुपया या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।

• प्लॉटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

**नोट—** पूर्व से निर्मित भवनों का भी मानचित्र उपरोक्त दरों पर उपविधि में निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करने पर स्वीकृत किया जायेगा।

1— प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2— नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

3— सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5— भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड) भीतर की ओर खुलेंगे।

6— यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

7— धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

8— विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

9— 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

10— किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8— शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9— भवन में फ्लश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

10— नालियों— भवन की नालियों सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियों बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11— पिलिन्थ (कुर्सी)— भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12— भवन की ऊँचाई भूतल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.00 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 2.70 मीटर रखनी होगी।

13— (क)— भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)– कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीनेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)– जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)– जीना बहु मंजिले भवनों में हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा, जीने की चौड़ाई 90 सेंटीमी0 से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे रोशनी की समुचित व्यवस्था हो।

14– किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15– जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16– जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17– निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

### शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत घोसिया जनपद भदोही यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्धदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) अर्धदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

बेबी बानों,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत घोसिया,  
भदोही।

### कार्यालय नगर पंचायत घोसिया, जनपद भदोही

10 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 585/न0पं0 घोसिया/2025-26—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत घोसिया बाजार जनपद भदोही की बोर्ड बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत “(2%) अचल सम्पत्ति विलेख कर उपविधि-2025” प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय पत्र संख्या-428/न0पं0 घोसिया/2025-26 दिनांक 18 अगस्त, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों “हिन्दुस्तान” व “सत्यम न्यूज़” में दिनांक 20 अगस्त, 2025 को “उपविधियों का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा-301 (1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के अन्दर आमन्त्रित किया गया था, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। बोर्ड बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2024 को प्रस्ताव संख्या-6 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को सर्वसम्मति से प्रकाशन की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

### नियमावली

#### 1— संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ प्रवृत्ति—

(1)— यह नियमावली नगर पंचायत घोसिया बाजार (भदोही) के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के विलेखों पर कर नियमावली कहलायेगी।

(2)— यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगर के भीतर की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाया जाये।

(3)— यह नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त विलेखों पर प्रवृत्त होगी।

#### 2— परिभाषाएँ— विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(क)— अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या-2 सन 1916) से है।

(ख)— नगर का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही से है।

(ग)— शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ)— इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) से है।

(ङ)— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही से है।

(च)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ)— कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (XIV-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3— नगर पंचायत के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तांतरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भाग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर दो प्रतिशत (2%) की दर से बढ़ाकर किया जायेगा।

4— कर लगाने की प्रक्रिया— उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

(1)— अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् दिये गये हैं—

(क)— नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख)— नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2)— यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक् पृथक् व दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128-क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5— कर के लेखे रचना-निबन्धक अधिकारी घोसिया बाजार जनपद भदोही प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध पृथक-पृथक लेखे रखेगा, जिसमें शुल्क व कर दिखायेगा।

6— निबन्धक अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय के प्रमाणपत्रों को प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 (ऐक्ट संख्या 16, 1998) 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा।

7— निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा। जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में वसूली की गई धनराशि और उसे जिला निबन्धक को उक्त प्रत्येक महीने के पाँचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

(1)— निबन्धक महानिरीक्षक उ०प्र० करेगा।

(2)— कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।

(3)— अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही।

(4)— महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।

8— नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रांसगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही को लौटा दी जावेगी। प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत घोसिया बाजार भदोही प्रत्येक तिमाही के कनिष्ठ सचिव राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद की फाइनैन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-1 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-19 में एक बिल प्रस्तुत करेगी। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने की पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगा।

9— (1)— नगर पंचायत की ओर से उगाही गई कर की धनराशि ऐसे प्राससिंग व्ययों, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी, प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिए, अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व, परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को फाइनैन्शियल हेड बुक खंड 5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)— नगर पंचायत निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/परिश्रमिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10— **अभिलेखों का निरीक्षण**— अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

बेबी बानों,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत घोसिया,  
भदोही।

**कार्यालय, नगर पंचायत लालगंज, रायबरेली**

11 मार्च, 2024 ई0

सं0 235/अधि0अधि0/न0पं0लाल/2024—उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा-212क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमान्तर्गत की परिधि में भवन निर्माण उपविधि प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उपविधि की दर या अन्य सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो या सुझाव हो तो लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 21 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत लालगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 11 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या-7 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र अमृत विचार दिनांक 26 जुलाई, 2024 एवं आज दिनांक 26 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराकर 21 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 21 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 11 मार्च, 2024 के प्रस्ताव संख्या-7 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**उपविधि****1— संक्षिप्त नाम व विस्तार—**

(1)— यह उपविधि भवन एवं प्रोजेक्शन उपविधि, 2024, नगर पंचायत लालगंज, जनपद रायबरेली कहलायेगी।

(2)— यह उपविधि उत्तर प्रदेश, सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(1)— “भवन निर्माण” से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर होने वाले किसी भी भवन के नये निर्माण, पुनर्निर्माण वर्तमान भवन में परिवर्तन आदि से है।

(2)— “प्रोजेक्शन” से तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सार्वजनिक एवं सरकारी सड़क या नाली के ऊपर छज्जा या चबूतरा आदि के निर्माण से है।

(3)— “अधिषासी अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत में नियुक्त अधिषासी अधिकारी से है।

3—(1)— नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी स्थान में निर्माण, पुर्निर्माण या उसमें सारवान परिवर्तन अथवा बड़ा करने के अभिप्राय से अथवा छज्जा या चबूतरा बनाने के अभिप्राय से व कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक को धारा -178(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत को नोटिस देना होगा—

(क)— प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 2.00 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ख)— इस प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी को दो मानचित्र प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों में प्रस्तावित मकान का पूर्ण विवरण दिया जा जावेगा तथा यह भी दर्शाया जावेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(ग)— प्रार्थी इन मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(घ)— प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नवनिर्माण करना चाहता है।

(च)— जिस आर्किटेक्ट से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(छ)— नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और दूसरा नक्शा जो नगर पंचायत लालगंज में रखा जायेगा, वह क्लाथ पेपर पर होगा। अन्य दस्तावेज जैसा नगर पंचायत अपेक्षा करें, जमा किया जायेगा।

(2)— धारा -3(1) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के साथ नगर पंचायत के अवषेक करो एवं निश्चित किया गया शुल्क की रसीद लगाना अनिवार्य है इसके बिना नोटिस वैध नहीं होगा।

(3)— भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत जारी न किये जाने की दशा में अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(4)— नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या किसी भवन में या उसके किसी भाग में परिवर्तन या बढ़ाने या प्रोजेक्शन के नोटिस के साथ मानचित्र या सूचनायें दो प्रतियों में दी जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक सड़कों तथा गलियों के सहनिकट दरवाजा या खिड़की खोलने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।

(5)— प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जायेगा और उसमें निम्नलिखित दर्शाया जायेगा।

(क) स्थल की सीमायें और उनकी माप सीमावर्ती भूमि जो उसके स्वामी की है।

(ख) भवन के सहनिकट की गलियों की चौड़ाई मौहल्लों का नाम, भवन की सीमायें प्रदर्शित होगी।

(ग) हर मंजिल का नक्शा शहर के सहनिकट खुलने वाले दरवाजे तथा खिड़कियों आदि की स्थिति।

(घ) नक्शों में नवीन निर्माण जिसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है लाल रंग से तथा पुराने भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

(च) भवन के पास सरकारी बिजली की लाइन की क्षैतिज दूरी स्पष्ट रूप से मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

4— निर्माण की स्वीकृति धारा-180 के अन्तर्गत दी जायेगी। प्रत्येक स्वीकृति छः माह तक वैध होगी। किन्तु प्रार्थी द्वारा समय बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र पर मूल स्वीकृति से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

5— यदि निर्माण की स्वीकृति दी जाने के उपरान्त नगर पंचायत की किसी समय यह संतुष्टि हो जाये कि किसी गलत सूचना के आधार पर अनुमति ली गई है तो नगर पंचायत अनुमति रद्द कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य बिना अनुमति किया माना जायेगा।

6— अध्यक्ष एवं अधिषासी अधिकारी तथा इनके द्वारा अधिकृत सदस्य या कर्मचारी किसी भी समय स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

7— भवन निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति का प्रभाव धारा-184 के अनुसार होगी।

8— चलचित्र भवन बनाने की अनुमति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के पश्चात प्रदान की जायेगी।

9— भवन निर्माण हेतु नक्शे में प्रोजेक्शन एवं चबूतरे का विवरण स्पष्ट अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्शन की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी।

(1)— भवन के ऊपरमंजिल से बालकनी, बरामदा, छज्जा या अन्य प्रक्षेप ऐसी सड़क के ऊपर नहीं बनाया जायेगा जिसकी चौड़ाई 12 फिट से कम हो।

(2)— किसी भी प्रक्षेप की चौड़ाई 3 फिट से अधिक नहीं होगी किन्तु सड़क के धरातल से प्रक्षेप की ऊँचाई 12 फिट से कम नहीं होगी।

(3)— यदि प्रस्तावित प्रक्षेप से बिजली की लाइन तक पहुँच सकना सम्भव होगा तो प्रक्षेप की अनुमति न दी जायेगी। जब तक बिजली की लाइन में परिवर्तन न हो जाय।

(4)– प्रत्येक प्रक्षेप के लिए शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा। यदि एक ही भवन में दो या अधिक मंजिलों पर प्रक्षेप बनता है तो शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

10– अधिनियम की धारा-186 के अन्तर्गत निर्माण को रोकने तथा निर्माण किये गये भवन को गिराने का अधिकार इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी होगा।

(1)– इन उपविधियों की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह सब सड़कों व नालियों के ऊपर अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों को हटाने के लिए नगर पालिका अधिनियम की धारा-211 के द्वारा नगर पंचायत को प्रदत्त किसी अधिकार को कम करती है, भले ही ऐसे अतिक्रमण तथा प्रक्षेपों के लिए स्वीकृति दे दी हो।

11– प्रस्तुत मानचित्र पर अधिषासी अधिकारी द्वारा धारा-180 एवं धारा-298 शीर्षक 'क' के उपशीर्षक (ज) में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं निर्माण की रीति अभिवियों, चिमनियों, नालियों शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूप की स्थिति, वायु के निर्वाध संचरण को सुनिश्चित करने, आगे लगने की रोक थाम के लिये भवन के चारों ओर छोड़ा जाने वाला स्थान, मंजिलों की संख्या अन्य ऐसे विषय जिससे सतायन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो, भवन के बाहर ग्रीन एरिया के अनुपाल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि के सम्बन्ध में यथाषक्य विचार किया जायेगा। विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आगन या वाटिका के लिए कुछ भूमि खाली छोड़ें लाये खाली भूमि के क्षेत्र का निर्धारण मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जायेगा। तदुपरान्त मानचित्र हेतु स्वीकृत अध्यक्ष/अधिषासी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

12– यदि मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है, तो नगर पंचायत द्वारा कारणों को दर्शाते हुए आपत्तियों को दुरुस्त करने की अपेक्षा की जा सकती है। तदुपरान्त पुनः आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

13– आर्किटेक्ट के लिए रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) वार्षिक शुल्क लेकर लाईसेन्स दिया जा सकता है। लाईसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त अन्य आर्किटेक्ट से बनाया हुआ मानचित्र अवैध करार दिया जा सकता है—

(1)– यदि कोई लाईसेन्स शुदा आर्किटेक्ट नहीं है तो नक्शा किसी भी योग्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से बनवाया जा सकता है।

(2)– आवेदक के मानचित्र को तैयार कराने का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा।

14– किसी सड़क या भूमि के ऊपर अपनी जगह में कोई दरवाजा, खिड़की, नाली अनुमति लेकर ही बनायी जायेगी।

15– भवन का निर्माण किसी भी कारण से नगर पंचायत की नाली/नाले/सड़क को आच्छादित नहीं करेगा।

(1)– भवन के सामने के नाले को यथासम्भव लोहे का चलायमान जाल डालकर आवागमन योग्य किया जा सकता है, ताकि नाले/नालियों की सफाई में कोई बाधा न उत्पन्न हो। नाले/नालियों/सड़क के आच्छादन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,000.00 एवं अग्रेतर उल्लंघन की स्थिति में रु0 200.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(2)– कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क से या नाली के बाहरी किनारे से 2 फुट भूमि को छोड़कर किया जाएगा तथा गलियों में 1 फुट भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

16– भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने पर भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत को यह सूचना दी जायेगी कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा किये जाने का प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तावित भवन तब तक पूर्णरूपेण या अंशतया अध्यासित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पालिका इस आषय का प्रमाण-पत्र जारी न कर दे।

17– संदर्भित भवन का निर्माण अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं विषिष्टियों के लिये आवेदक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।

18— कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में पालिका की स्वीकृति के बिना नाली, फर्ष का निर्माण नहीं करेगा और न ही कोई फर्ष या नाली तोड़ेगा या उसमें परिवर्तन करेगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रथम अपराध के लिये रु0 2,00.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

19— कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण नहीं करेगा। इसके लिए नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिषासी अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त भी यदि पालिका को यह विष्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो दी गई अनुमति समाप्त की जा सकती है।

20— भवन निर्माणकर्ता कार्य समाप्त कर सड़क पर पड़ा मैटरियल/मलवा आदि साफ कराएगा और गद्दे आदि भरवाएगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या निजी सड़क या गली/नाला/नाली में या किनारे पालिका की स्वीकृति के बिना भवन के मलबे का भण्डारण नहीं करेगा। यदि पालिका को यह विष्वास करने का कारण हो कि उक्त भवन के मलबे के सड़क/नाली/नाले में भण्डारण से यातायात या सार्वजनिक आवागमन/जल निकासी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो पालिका उसे 24 घण्टे में हटाने की अपेक्षा व्यक्ति से कर सकती है और उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है।

21— यदि कोई निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया जाता है, तो अधिषासी अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर या आवेदक द्वारा निर्माण के पश्चात स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर यदि वह निर्माण इस उपविधि के अन्तर्गत दी गई शर्तों के अनुरूप बनाया गया है तो उसको स्वीकृति भी दी जा सकती है। ऐसी स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अनिवार्य 20 गुना अर्थदण्ड अधिषासी अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

22— नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-212(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत की सीमा के बाहर से 5 कि0मी0 की दूरी तक समस्त भवन, मार्ग या नाली के निर्माण इस उपविधि से नियंत्रित या विनियमित होंगे अर्थात् यह उपविधि सीमा के बाहर 5 कि0मी0 की दूरी तक प्रभावी होगी।

23— स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शुल्क अग्रिम देय होगा।

#### अनुसूची

| क्रम सं० | स्वीकृत योग्य शर्तें                                                                                                                         | दर                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                            | 3                         |
|          |                                                                                                                                              | रुपये—                    |
| 1        | मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र का शुल्क                                                                                                | 500.00                    |
| 2        | आवासीय भवन/कॉलोनी प्लान निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर                                                                         | 50.00 प्रति वर्ग मीटर।    |
| 3        | व्यवसायिक एवं आवासीय तथा केवल व्यवसायिक/वाणिज्यिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवन/कॉलोनी प्लान के निर्माण/पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन के लिए दर | 200.00 प्रति वर्ग मीटर।   |
| 4        | बहुमंजिला आवासीय बिल्डिंग काम्प्लेक्स                                                                                                        | 500.00 प्रति वर्ग मीटर।   |
| 5        | बहुमंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग काम्प्लेक्स                                                                                                     | 1,000.00 प्रति वर्ग मीटर। |
| 6        | खिड़की, दरवाजे, नाली आदि के निर्माण के लिए                                                                                                   | 500.00 प्रति              |
| 7        | अवधि बढ़ाये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का शुल्क                                                                                              | 500.00                    |

| 1  | 2                                                                                  | 3                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    | रुपये—                                                      |
| 8  | छज्जा, बालकनी, चबूतरा के लिए शुल्क                                                 | 200.00 वर्ग मीटर                                            |
| 9  | निर्माण सामग्री सार्वजनिक सड़क के किनारे रखने हेतु शुल्क (प्रति 50 वर्ग फिट पर)    | प्रथम 2 दिन निःशुल्क अनिश्चित<br>प्रति 10 दिन रु0 1,000.00। |
| 10 | सड़क व नालियों में भवन का जमा मलवा नगर पंचायत के कार्मियों द्वारा हटाने हेतु शुल्क | 5,000.00 एकमुष्ट।                                           |
| 11 | मात्र दीवार निर्मित कराने हेतु                                                     | 25.00 प्रति मीटर।                                           |

नोट— (1)— प्रत्येक मंजिल का शुल्क अलग-अलग लिया जायेगा।

(2)— दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी जो वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल से लागू होगी। इन शुल्क बढ़ोतरी को पाँच वर्ष पश्चात लागू रखने के लिए नगर पंचायत पुनः विचार कर सकती है।

(3)— यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनायी जा रही है तो उसकी फीस, उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि की व्यवस्था न हो वह निःशुल्क होगा।

(4)— भूमिगत तल की अनुमति सामान्यतया नहीं दी जायेगी। अनुमति विषेष परिस्थिति में प्रस्तावित भवन के आसपास के भवनों एवं सार्वजनिक सड़क/नाली की स्थिति को ध्यान में रखकर उपरोक्त भवन श्रेणियों की दरों के 4 गुना दर पर ही दी सकेगी।

#### दण्ड

उत्तर प्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत लालगंज निर्देश देती है कि इस उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर रु0 1000.00 तक अर्थदण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध प्रथम दोष होने के दिनांक से निरंतर जारी रहा हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

अध्यक्ष,  
नगर पंचायत लालगंजनगर,  
रायबरेली।

### कार्यालय, नगर पंचायत लालगंज, रायबरेली

11 मार्च, 2024 ई0

सं0 516/अधि0अधि0/न0पं0लाल/2025-26—नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेन्स व अन्य शुल्क उपविधि प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके दर या अन्य सम्बन्ध पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत लालगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 11 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र स्पष्ट आवाज दिनांक 14 अगस्त, 2024 एवं हैलो इण्डिया दिनांक 14 अगस्त, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 11 मार्च, 2024 के प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

**वाणिज्य नियंत्रण लाइसेन्स व अन्य शुल्क उपनियमावली-2024****2- परिभाषाएँ-**

- (क)- अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम, 1916 है।
- (ख)- नगर पंचायत तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज से है।
- (ग)- शुल्क के तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज द्वारा वर्णित मदों पर लगा ये शुल्क से है।
- (घ)- प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज के प्रभारी अधिकारी से है।
- (ङ)- अधिषासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज के अधिषासी अधिकारी से है।
- (च)- निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य नगर पंचायत परिषद् द्वारा अधिकृत/कर्मचारी से है।

**उपनियम-**

- 1- यह नियम नगर पंचायत लालगंज के सीमान्तर्गत लागू होंगे।
- 2- नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क से रूप में कार्यालय नगर पंचायत लालगंज में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 3- लाइसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगी।
- 4- लाइसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी।
- 5- नियमावली तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकारी अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत लालगंज का है।
- 6- नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिषासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं।
- 7- अधिषासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकता है।
- 8- जो शुल्क इस तालिका में नहीं उन्हें सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।
- 9- इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्कों की दरों को स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- 10- प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

| क्रम सं० | विवरण                                                | धनराशि    |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                    | 3         |
|          |                                                      | रुपये-    |
| 1.       | <b>होटल रेस्टोरेन्ट-</b>                             |           |
|          | 1- होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तथा बारातघर    | 5,000.00  |
|          | 2- होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 100 शैया से 20 शैया तक | 15,000.00 |
|          | 3- सामान्य होटल/रेस्टोरेन्ट                          | 3,000.00  |
| 2.       | <b>नर्सिंग होम-</b>                                  |           |
|          | 1- नर्सिंग होम (20 बेड तक)                           | 2,000.00  |

| 1  | 2                                                          | 3        |
|----|------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                            | रुपये—   |
|    | 2— नर्सिंग होम (30 बेड तक)                                 | 5,000.00 |
|    | 3— प्रसूति गृह (20 बेड तक)                                 | 4,000.00 |
|    | 4— प्राइवेट अस्पताल                                        | 5,000.00 |
|    | 5— पैथोलोजी सेन्टर                                         | 1,000.00 |
|    | 6— एक्सरे क्लीनिक                                          | 2,000.00 |
|    | 7— डेन्टल क्लीनिक                                          | 1,500.00 |
|    | 8— प्राइवेट क्लीनिक                                        | 1,500.00 |
| 3. | <b>परिवहन—</b>                                             |          |
|    | 1— ट्रासपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)                       | 500.00   |
|    | 2— ट्रासपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)                          | 1,000.00 |
|    | 3— ऑटो रिक्शा (2 सीटर)                                     | 300.00   |
|    | 4— ऑटो रिक्शा (7 सीटर)                                     | 720.00   |
|    | 5— ऑटो रिक्शा (4 सीटर)                                     | 500.00   |
|    | 6— मिनी बस                                                 | 1,500.00 |
|    | 7— बस                                                      | 2,500.00 |
|    | 8— तांगा                                                   | 100.00   |
|    | 9— रिक्शा किराये पर                                        | 100.00   |
|    | 10— रिक्शा निजी पर                                         | 100.00   |
|    | 11— ट्रौली                                                 | 50.00    |
|    | 12— अन्य चार पहियों के वाहन तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु वाहन | 500.00   |
|    | 13— मोटर गैरिज                                             | 500.00   |
|    | 14— स्कूटर गैरिज/रिपेयरिंग शॉप                             | 500.00   |
|    | 15— मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)                       | 3,000.00 |
|    | 16— स्कूटर एजेन्सी ( 2 पहिया/3 पहिया)                      | 1,500.00 |
|    | 17— साईकिल की दुकान                                        | 300.00   |
| 4. | <b>पेट्रोलियम—</b>                                         |          |
|    | 1— दुकान मिट्टी के तेल 100 गैलन तक                         | 100.00   |
|    | 2— पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थ्रो (ऑयल कम्पनी)                | 3,000.00 |
|    | 3— पेट्रोल पम्प/ डीजल पम्प फुटकर                           | 2,000.00 |
|    | 4— जेनरेटर डीजल                                            | 500.00   |

| 1  | 2                                                                                           | 3        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                             | रुपये—   |
| 4. | <b>पेट्रोलियम—</b>                                                                          |          |
|    | 5— अन्य दुकान पेट्रोलियम उत्पादन                                                            | 500.00   |
| 5. | <b>अन्य व्यवसाय—</b>                                                                        |          |
|    | 1— धुलाई गृह (लाण्ड्री)                                                                     | 200.00   |
|    | 2— ड्राई क्लीनर                                                                             | 300.00   |
|    | 3— साबुन फैक्ट्री                                                                           | 1,000.00 |
|    | 4— गुड़ गोदाम                                                                               | 900.00   |
|    | 5— चूना                                                                                     | 200.00   |
|    | 6— पेठा बनाने का कारखाना                                                                    | 500.00   |
|    | 7— जूता बनाने वाला कारखाना                                                                  | 800.00   |
|    | 8— लोहा व्यापारी, टिम्बर मर्चेन्ट सीमेन्ट ईट बालू (थोक मोरम बालू) मारबल टाइल्स<br>हार्डवेयर | 1,000.00 |
|    | 9— बिजली सामान के विक्रेता                                                                  | 500.00   |
|    | 10— कपड़ा फुटकर एवं थोक व्यापारी                                                            | 500.00   |
|    | 11— चाय के थोक विक्रेता                                                                     | 100.00   |
|    | 12— नट फैक्ट्री                                                                             | 100.00   |
|    | 13— वेटरिंग                                                                                 | 600.00   |
|    | 14— बेकरी                                                                                   | 1,000.00 |
|    | 15— बेकरी (पावर)                                                                            | 1,500.00 |
|    | 16— हेयर कटिंग सैलून                                                                        | 200.00   |
|    | 17— ब्यूटी पार्लर                                                                           | 200.00   |
|    | 18— कुकिंग गैस एजेन्सी                                                                      | 500.00   |
|    | 19— जनरल मर्चेन्ट (फुटकर एवं थोक)                                                           | 2,000.00 |
|    | 20— कोयला थोक विक्रेता                                                                      | 1,000.00 |
|    | 21— मसाला/पान मसाला फैक्ट्री                                                                | 2,000.00 |
|    | 22— कोयला फुटकर विक्रेता                                                                    | 1,000.00 |
|    | 23— पेन्ट की दुकान (रंग रोगन)                                                               | 500.00   |
|    | 24— ज्वैलर्स                                                                                | 5,000.00 |
|    | 25— विज्ञापन एजेन्सी                                                                        | 1,000.00 |
|    | 26— डेरी फार्म                                                                              | 1,000.00 |
|    | 27— भूसा फार्म थोक                                                                          | 1,000.00 |
|    | 28— भूसा विक्रेता फुटकर                                                                     | 500.00   |
|    | 29— ऑडियो लाइब्रेरी                                                                         | 500.00   |
|    | 30— वीडियो लाइब्रेरी                                                                        | 500.00   |

| 1  | 2                                                         | 3         |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                           | रुपये—    |
| 5. | <b>अन्य व्यवसाय—</b>                                      |           |
|    | 31— केबिल टी०वी०                                          | 1,000.00  |
|    | 32— आर्कट्रेक्ट कन्सलटेन्ट विधि एकाउन्टेड कास्ट एकाउन्टेड | 4,000.00  |
|    | 33— फाइनेन्स कम्पनी चिट-फण्ड                              | 6,000.00  |
|    | 34— इश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा                          | 12,000.00 |
|    | 35— फाउण्डिंग कम्पनी/इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल             | 1,000.00  |
|    | 36— ढलाई भट्टी , खराद मशीन                                | 50.00     |
|    | 37— सब्जी गोदाम/फल गोदाम                                  | 1,000.00  |
|    | 38— हड्डी, खाल, सींग, चमड़ा, खांडसारी आदि फुटकर विक्रेता  | 500.00    |
|    | 39— बार/बीयर                                              | 4,000.00  |
|    | 40— शीरा फैक्ट्री                                         | 4,000.00  |
|    | 41— टेन्ट हाउस                                            | 2,000.00  |
| 6. | <b>दुकान—</b>                                             |           |
|    | 1— पान/तम्बाकू की दुकान                                   | 200.00    |
|    | 2— चाय की दुकान                                           | 200.00    |
|    | 3— जनरल मर्चेन्ट की दुकान                                 | 500.00    |
|    | 4— किताबों की थोक दुकान                                   | 300.00    |
|    | 5— किताबों की फुटकर दुकान                                 | 200.00    |
|    | 6— न्यूज पेपर विक्रेता                                    | 100.00    |
|    | 7— लकड़ी की टाल थोक विक्रेता                              | 600.00    |
|    | 8— लकड़ी की टाल फुटकर विक्रेता                            | 500.00    |
|    | 9— टिम्बर मर्चेन्ट                                        | 2,000.00  |
|    | 10— रेडियों मैकेनिक, टी०वी० मरम्मत                        | 300.00    |
|    | 11— टी०वी० शॉप/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ                       | 1,000.00  |
|    | 12— फर्टिलाइजर (शॉप)                                      | 500.00    |
|    | 13— फर्टिलाइजर फैक्ट्री                                   | 3,000.00  |
|    | 14— प्लास्टिक ट्रेडर्स                                    | 500.00    |
|    | 15— मिठाई की दुकान                                        | 1,000.00  |
|    | 16— पानी बतासा की दुकान                                   | 200.00    |
|    | 17— ड्राई फ्रुट की दुकान                                  | 200.00    |
|    | 18— गैस फिलिंग प्लान्ट                                    | 4,000.00  |
|    | 19— गैस फिलिंग दुकान (छोटी)                               | 200.00    |
|    | 20— सब्जी की दुकान/फल की दुकान                            | 200.00    |

| 1  | 2                                                                                | 3         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                  | रुपये—    |
| 6. | <b>दुकान—</b>                                                                    |           |
|    | 21— ड्राई फ्रुट की फुटकर दुकान                                                   | 500.00    |
|    | 22— बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)                                                         | 5,000.00  |
|    | 23— मसाले की थोक विक्रेता                                                        | 1,000.00  |
|    | 24— आर०ओ० प्लॉट                                                                  | 1,000.00  |
|    | 25— आटा चक्की                                                                    | 500.00    |
|    | 26— तेल घानी                                                                     | 2,000.00  |
|    | 27— मुर्गी मांस दुकान                                                            | 5,000.00  |
|    | 28— मसाले के फुटकर की दुकान                                                      | 500.00    |
|    | 29— पीतल एवं स्टील बर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के थोक विक्रेता                     | 1,000.00  |
|    | 30— पीतल एवं स्टील बर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के फुटकर विक्रेता                   | 500.00    |
|    | 31— देशी शराब की प्रति दुकान                                                     | 5,000.00  |
|    | 32— अंग्रेजी शराब की दुकान                                                       | 10,000.00 |
|    | 33— बकरा/बकरी (छोटा) पशु मांस की दुकान                                           | 5,000.00  |
|    | 34— फर्नीचर की दुकान (शो-रूम)                                                    | 1,000.00  |
|    | 35— क्रॉकरी विक्रेता                                                             | 500.00    |
|    | 36— चूड़ी विक्रेता                                                               | 100.00    |
|    | 37— जूता (चमड़ा, प्लास्टिक) विक्रेता                                             | 200.00    |
|    | 38— ग्लास फैक्ट्री/कांच से बनाने वाली समस्त फैक्ट्री                             | 1,000.00  |
|    | 39— अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवा की फुटकर/थोक                                       | 1,000.00  |
|    | 40— फर्नीचर विक्रेता                                                             | 500.00    |
|    | 41— रस्सी/बान/बांस बल्ली आदि की दुकान                                            | 200.00    |
|    | 42— अन्य सभी प्रकार की दुकान एवं प्रतिष्ठान                                      | 200.00    |
|    | 43— अन्य सभी प्रकार की फैक्ट्रिया आदि                                            | 3,000.00  |
| 7. | <b>पशुपालन—</b>                                                                  |           |
|    | 1— प्रति पशु (बड़ा)                                                              | 50.00     |
|    | 2— प्रति पशु (छोटा)                                                              | 20.00     |
|    | 3— कांजी हाउस उसमें बन्द जानवरों पर जुर्माना/गौपाला में बन्द जानवरों पर जुर्माना | 500.00    |
|    | (क) बड़े जानवर प्रतिदिन का शुल्क                                                 | 50.00     |
|    | (ख) छोटा जानवर                                                                   | 40.00     |
|    | 4— प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि                                           | 20.00     |
|    | 5— प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़े आदि                               | 50.00     |

**टिप्पणी**—उपरोक्त वर्णित विषय में वार्षिक शुल्क/मद में प्रत्येक 2 वर्ष में बढ़ोत्तरी करने का अधिकार अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत का अधिकार होगा।

### विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रुपया 10.00 (दस रुपया मात्र) विलम्ब देय होगा।

### दण्ड

नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत-लालगंज जनपद-रायबरेली यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकन रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रुपया 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

सरिता गुप्ता,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत, लालगंज,  
जनपद-रायबरेली।

### कार्यालय, नगर पंचायत लालगंज, रायबरेली

11 मार्च, 2024 ई0

सं0 125/अधि0अधि0/न0पं0लालगंज/2024-25—उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (2) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं यूजर चार्ज शुल्क उपविधि प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उपविधि की दर या अन्य सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो या सुझाव हो तो लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत लालगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 11 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या-4 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र, हैलो न्यूज में दिनांक 14 अगस्त, 2024 एवं दैनिक समाचार-पत्र स्पष्ट आवाज में दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 11 मार्च, 2024 के प्रस्ताव संख्या-4 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

### ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं यूजर चार्ज उपविधि-2024

#### संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—

यह उपविधि शुल्क उपविधि/नियमावली/नगर को स्वच्छ बनाने एवं प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु 2024 कहलायेगी।

यह नियमावली नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) के सीमा में प्रवृत्त/लागू होगी।

यह उपविधि उत्तर प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) के सीमा में प्रवृत्त/लागू होगी।

**परिभाषा**—विषय के प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर अधिनियम में उल्लेखित शब्द अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये।

अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

अधिषासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) अधिषासी अधिकारी से है जो नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) एक्ट 1916 में अवलोकित है।

नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) से है।

अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज (रायबरेली) के अध्यक्ष/प्रशासक से है—

| क्र०<br>सं० | कृत्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                      | नगर पंचायत द्वारा<br>आरोपित धनराशि |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रुपये—                             |
| 1           | आवासीय भवन एवं स्वामियों द्वारा खुले में कचरे डालने पर                                                                                                                                                                                                                              | 500 प्रति घटना                     |
| 2           | दुकानदारों/रेस्टोरेंट मालिक/होटल मालिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान के द्वारा खुले में कचरा डालने पर।                                                                                                                                                                                        | 800 प्रति घटना                     |
| 3           | हलवाई, चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ढेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर।                                                                                                                                                | 500 प्रति घटना                     |
| 4           | निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा, मलवा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पंचायत की सड़क पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर।                                                                                                                                                 | 1,000 प्रति घटना                   |
| 5           | सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वैकल्पिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्टोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (पत्येक कृत्य पर)। | 1,000 प्रति घटना                   |
| 6           | बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दषा में।                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 प्रति घटना                   |
| 7           | अपने मकान भवन का सीवरेज व्यवस्था न करके सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।                                                                                                                                                                                                 | 1,000 प्रति घटना                   |
| 8           | दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर ऑयल व मिटटी का पानी फैलाकर गन्दगी करने पर                                                                                                                                                           | 100 प्रति घटना                     |
| 9           | मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर।                                                                                                          | 5,000 प्रति घटना                   |
| 10          | आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते भेड़ ऊँट, गधा घोडा, सूअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।                                                                                                                                                          | 500 प्रति घटना                     |
| 11          | शादी/विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 प्रति घटना                   |
| 12          | आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेण्ट लगाकर खुलेआम मॉस मछली पकाने व अंष सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर                                                                                                                                                                             | 1,000 प्रति घटना                   |
| 13          | हेयर कटिंग सैलून कलॉ द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, फल आदि डालने पर।                                                                                                                                                                                                            | 100 प्रति घटना                     |
| 14          | दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर                                                                                                                                       | 2,000 प्रति घटना                   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रुपये—                                                           |
| 15 | आम रास्ता, सड़क फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर, जूते, चप्पल खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर                                                                                                                                                                     | 500 प्रति घटना                                                   |
| 16 | प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।                                                                                                                                                                     | 500 प्रति घटना                                                   |
| 17 | विभिन्न चिकित्सकीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथोलॉजी इत्यादि के लैब चिकित्सकीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर                                                                                                                 | 500 प्रति घटना तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज                |
| 18 | खुले में शौच/पेशाब करने पर                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 प्रति घटना                                                   |
| 19 | व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर                                                                                                                                                                                                                                      | 100 प्रति घटना                                                   |
| 20 | पान मसाला/गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपान करने पर                                                                                                                                                                                                   | पहली बार पाये जाने पर 100 दूसरी बार पाये जाने पर 500             |
| 21 | खाली प्लाट में सॉलिड बेट (कचरा, गोबर, मेचर इत्यादि) फेकने पर                                                                                                                                                                                                                                 | 200 प्रति घटना                                                   |
| 22 | बल्क वेस्ट उत्पाद द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/इधर-उधर फेकने तथा आग लगाने इत्यादि पर                                                                                                                                                                                               | 1,000 प्रति घटना                                                 |
| 23 | मकान की तोड़-फोड़/पुनः निर्माण/नवनिर्माण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर-उधर फेकने पर।                                                                                                                                                                                     | 500 प्रति घटना                                                   |
| 24 | गीले तथा सूखे कूड़े को पृथक-पृथक न देने पर                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 प्रति घटना                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 प्रति घटना<br>(मैरिज होम, वैवाहिक स्थल प्रति हॉल इत्यादि।) |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500/- प्रति घटना<br>(व्यवसायिक स्थल)                             |
| 25 | नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) अधिनियम 2010 की धारा-15-16 के अन्तर्गत नगर पंचायत के सड़क पर कूड़ा व ठोस अपशिष्ट कूड़ा डालने पर।                                                                                                                                                                | 5,000 प्रति घटना                                                 |
| 26 | म0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या-3595-/नौ-52016-29 रिट/2014 दिनांक 09 नवम्बर, 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) की धारा 15-16 के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (C & D) को सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर। | 50,000 प्रति घटना                                                |

| 1  | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   | रुपये—                                                                                               |
| 27 | उत्तर प्रदेश, विकास अनुभाग-7 के शासनदेष संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)-<br>18 दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अनुपालन में। | 100 ग्राम तक 1,000<br>101 ग्राम 500 ग्राम<br>तक 2,000                                                |
|    | प्रतिबन्धित प्लास्टिक उपयोग करने पर                                                                               | 500 ग्राम से 1 किग्रा<br>तक 5,000<br>1 किग्रा से 5 किग्रा<br>तक 10,000<br>5 किग्रा से अधिक<br>25,000 |

### विद्युत ट्रांसफार्मर उपविधि/नियमावली

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 28 | राज्य विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था को अनिवार्य होगा कि वह नगर पंचायत लालगंज की सीमाओं में स्थित सभी स्टेपनों व पोलों की संख्या देगा, पुनः स्थापित करने, नये गाढ़ने, फेरने अथवा उखाड़ने की सूचना नगर पंचायत लालगंज को देगा, पोलों/सब स्टेपन/ट्रांसफार्मर आदि की स्थापना तकनीकी बाधा न होने की दशा में नगर पंचायत लालगंज द्वारा निश्चित स्थान पर करनी होगी एवं गणना नगर पंचायत लालगंज द्वारा की जायेगी तथा आरोमित शुल्क निर्धारित अवधि में नगर पंचायत लालगंज को संस्था अदा करेगा। | —                                      |
| 29 | नियम समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर नगर पंचायत लालगंज विद्युत विभाग/अन्य संस्था को विद्युत उपयोग हेतु प्रेषित विधिवत बिलों के भुगतान से समायोजित कर लेगी और बैलेस यदि कोई बकाया रहता है तो वसूली की जायेगी, माह अप्रैल में सम्पूर्ण शुल्क अदा कर देता है तो उसे 05 प्रतिषत की छूट दी जायेगी, ऐसा न होने पर 05 प्रतिषत छूट समाप्त हो जायेगी और देय मांग पर 10 प्रतिषत अधिभार चार्ज के रूप में अतिरिक्त विद्युत/निगम/अन्य संस्था पर वाजिब व्यय देय हो जायेगा।                  | —                                      |
| 30 | जो ट्रांसफार्मर जमीन पर फाउण्डेशन बनाकर रखा गया हो उस पर शुल्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000 प्रति<br>ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ष |
| 31 | जो ट्रांसफार्मर छोटे आकार का दो खम्बों पर रखा गया हो उस पर शुल्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,000 प्रति<br>ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ष |

### विभिन्न कम्पनियों के टावर उपविधि/नियमावली

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32 | किसी भी संस्था को अनिवार्य होगा कि वह नगर पंचायत लालगंज की सीमाओं में स्थित सभी टावरों की संख्या देगा, नये लगाने की सूचना नगर पंचायत लालगंज को देगा। स्थापना में तकनीकी बाधा न होने की दशा में नगर पंचायत द्वारा निश्चित स्थान पर करनी होगी। | — |
| 33 | टावरों की गणना नगर पंचायत लालगंज द्वारा की जायेगी जिसकी संख्या में कोई कमी अथवा अधिकता प्रमाण सहित पायी जायेगी, संस्था व सूची के अनुसार आरोपित शुल्क निर्धारित अवधि में नगर पंचायत लालगंज को सम्बन्धित संस्था अदा करेगा।                     | — |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रुपये—                         |
| 34 | शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष नगर निकाय को वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में सम्बन्धित संस्था को करना होगा। टावर की संस्था प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में सम्पूर्ण शुल्क अदा कर देता है तो उसे 05 प्रतिषत की छुट दी जायेगी, ऐसा न होने पर 05 प्रतिषत छूट समाप्त हो जायेगी और देय मांग पर 10 प्रतिषत अधिकार चार्ज के रूप में अतिरिक्त सम्बन्धित टावर की संस्था पर वाजिव व्यय देय हो जायेगी। | —                              |
| 35 | नगर पंचायत लालगंज सीमान्तर्गत लगे विभिन्न कम्पनियों के टावर सिग्नल पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000 प्रति यूनिपोल प्रतिवर्ष |
| 36 | नगर पंचायत लालगंज सीमान्तर्गत लगाये गये यूनिपोल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,000 प्रति यूनिपोल प्रतिवर्ष  |

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज—

| आवासीय                  | विवरण                                                                                                                                                         | दर/प्रतिमाह     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                             | 3               |
|                         |                                                                                                                                                               | रुपये—          |
| श्रेणी 'क'              | गृहकर से छूट वाले परिवार                                                                                                                                      | 30.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'ख'              | 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई                                                                                                                         | 50.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'ग'              | 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई                                                                                          | 60.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'घ'              | 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई                                                                                         | 70.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'ड'              | 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई                                                                                                      | 50.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'च'              | हाउसिंग सोसायटी, अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट, यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला                                                                                         | 30.00 प्रतिमाह  |
| <b>आवासीय/व्यवसायिक</b> |                                                                                                                                                               |                 |
| श्रेणी 'क'              | 100 वर्गफीट क्षेत्रफल तक की दुकान                                                                                                                             | 50.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'ख'              | 100 वर्गफीट से 200 वर्गफीट क्षेत्रफल तक की दुकान                                                                                                              | 60.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'ग'              | 200 वर्गफीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान                                                                                                                        | 50.00 प्रतिमाह  |
| श्रेणी 'घ'              | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र तथा छात्राएँ तक                                                                                                      | 50.00 प्रतिमाह  |
|                         | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र तथा छात्राएँ तक                                                                                               | 75.00 प्रतिमाह  |
|                         | पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र तथा छात्राएँ तक                                                                                            | 100.00 प्रतिमाह |
| श्रेणी 'ड'              | इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेन्ट कॉलेज एवं प्राइवेट, स्नातक/ स्नातकोत्तर कॉलेज सेन्टर, शॉपिंग कम ऑफिस काम्पलेक्स, प्राइवेट शिक्षण, संस्थाएं हॉस्टल | 200.00 प्रतिमाह |
| श्रेणी 'च'              | बैंक कार्यालय, एलआईसी कार्यालय, मैरिज होम, बैक्विट, सिनेमा हाल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट इत्यादि तथा होटल 10 कमरों तक                                          | 200.00 प्रतिमाह |

| 1          | 2                                                                                                        | 3                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                          | रुपये—                                                |
| श्रेणी 'छ' | मॉल्स, क्लब, होटल 10 कमरों से अधिक                                                                       | 500.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'ज' | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल                                                               | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'झ' | प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम (बेड युक्त)                                                               | 500.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'ट' | पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक, दवाईयों की दुकान                                                                  | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'ड' | अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल                                                                        | 50.00 प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी 'ण' | रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विषाल मेगा मार्ट, मैटो बाजार आदि)                                           | 1,000.00 प्रतिमाह                                     |
| श्रेणी 'त' | रोड साईड बेन्डर (वेन्डर जोन सहित)                                                                        | 5.00 प्रतिमाह                                         |
| श्रेणी 'थ' | रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, जूस की दुकान व चाट हाउस आदि                                                   | 10.00 प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी 'द' | गोदाम एवं वेयरहाउस 1000 वर्गफीट                                                                          | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'न' | शराब की दुकानें                                                                                          | 200.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'प' | हाट मार्केट साप्ताहिक बाजार                                                                              | 40.00 प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी 'फ' | शोरूम, सर्विस सेन्टर, छोटे गैराज                                                                         | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'ब' | प्रदर्शनी ग्राउण्ड मेला                                                                                  | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'भ' | छोटे कुटीर उद्योग कार्यशालायें (गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि० अपषिट                                | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'म' | प्रिंटिंग प्रेस, पेट्रोल पम्प                                                                            | 100.00 प्रतिमाह                                       |
| श्रेणी 'र' | ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु ( गाय, भैंस, बकरी, सूअर, आदि) पाल रखे हो, जिनका व्यवसायिक उपयोग न किया जाता हो। | 100.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा। |
| श्रेणी 'ल' | अन्य जो उपरोक्त में से छूट गया हो।                                                                       | जो नगर पंचायत लालगंज द्वारा निर्धारित किया जाये।      |

उपरोक्त वर्णित विषय में वार्षिक शुल्क/मद में प्रत्येक 2 वर्ष में बढ़ोत्तरी करने का अधिकार अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली यह आदेश देती है कि इस नियमावली से किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर 1,000.00 (एक हजार) मात्र दण्ड किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद दिनांक से यह सिद्ध हो जाने से किसी के द्वारा निरन्तर उल्लंघन जारी रहने पर 100.00 (एक सौ) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

सरिता गुप्ता,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत लालगंजनगर,  
रायबरेली।

**कार्यालय नगर पंचायत लालगंज, रायबरेली**

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 157/अधि0अधि0/न0पं0लाल/विज्ञापन उ0प0/2024-25—उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0 2 1916) की यथा परिष्कृत धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं धारा 298 की सूची 1 के खण्ड (ज) का उपखण्ड (च) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लालगंज द्वारा पोस्टर्स विज्ञापन होर्डिंग्स विनियमन उपविधि 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उपविधि से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को आपत्ति हो या सुझाव हो तो लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत लालगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 19 जुलाई, 2023 प्रस्ताव संख्या-8 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक वैचारिक तूफान दिनांक 11 सितम्बर, 2024 एवं दैनिक समाचार-पत्र हैलो इण्डिया में दिनांक 09 अगस्त, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2023 के प्रस्ताव संख्या 8 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**पोस्टर्स विज्ञापन होर्डिंग्स विनियमन उपविधि, 2024**

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—

(एक)— यह उपविधि नगर पंचायत लालगंज, रायबरेली (विज्ञापनों, पोस्टर्स एवं होर्डिंग्स विनियमन एवं नियंत्रण उपविधि, 2024 कहलायेगी।

(दो)— इसका विस्तार सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में होगा।

(तीन)— यह उपविधि सरकारी गजट तिथि से मानी जायेगी।

2— परिभाषा— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में—

(एक)— “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश, नगर पालिका, 1996 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 2, 1996) से है।

(दो)— “पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज से है।

(तीन)— “अधिषासी अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज के अधिषासी अधिकारी से है।

(चार)— “नगर पंचायत” की सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत लालगंज की सीमा से है।

(पाँच)— विज्ञप्ति, विज्ञापन, होर्डिंग्स जैसे समरूप व पर्यायवाची शब्दों से तात्पर्य समाचार-पत्रों से भिन्न विज्ञापनों से है जो बांस, बल्ली, लोहे के मास्टर या स्ट्रक्चर बनाकर दीवार, खम्भे, पेड़ या वाहन पर विज्ञापन पट लगाकर चिपकाकर लटकाकर प्रदर्शित किये जाये।

(छ:)— “शुल्क” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 298 की सूची 1 के खण्ड “ज” के उपखण्ड “च” के अधीन लगाये नये शुल्क से है।

(सात)— “अधिषासी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत लालगंज से है। कर का विवरण नगर पंचायत लालगंज की सीमा के अन्दर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी जगह पर विज्ञापन (होर्डिंग्स) या संरचना (स्ट्रक्चर) पर चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी लगाये गये हों, निम्नलिखित दरों पर कर लगाया जायेगा।

**अनुसूची**

| निजी स्थान प्रतिष्ठान पर तख्ती (बोर्ड) दीवार या खम्भें या पेड़ पर लगाये गये<br>विज्ञापन | मासिक शुल्क | वार्षिक शुल्क |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1                                                                                       | 2           | 3             |
|                                                                                         | रुपये—      | रुपये—        |
| (क)— 250 वर्ग डेसीमी० (25 वर्ग फीट) तक के स्थान के लिये                                 | 50.00       | 500.00        |
| (ख)— 250 वर्ग डेसीमी० (25 वर्ग फीट) से 500 वर्ग डेसीमी० (40 वर्ग फीट)                   | 60.00       | 600.00        |
| (ग)— 400 वर्ग डेसीमी० (40 वर्ग फीट) से 700 वर्ग डेसीमी० (700 वर्ग फीट)                  | 100.00      | 1,000.00      |

| नगर पंचायत की भूमि अथवा भवन पर लगाये गये विज्ञापन                     | मासिक शुल्क                               | वार्षिक शुल्क |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                     | 2                                         | 3             |
|                                                                       | रुपये—                                    | रुपये—        |
| (क)— 100 वर्ग डेसीमी० (10 वर्ग फीट) तक के स्थान के लिये               | 50.00                                     | 500.00        |
| (ख)— 100 वर्ग डेसीमी० (10 वर्ग फीट) से 200 वर्ग डेसीमी० (20 वर्ग फीट) | 60.00                                     | 600.00        |
| (ग)— 200 वर्ग डेसीमी० (20 वर्ग फीट) से 400 वर्ग डेसीमी० (40 वर्ग फीट) | 100.00                                    | 1000.00       |
| (घ)— 400 वर्ग डेसीमी० (40 वर्ग फीट) से 600 वर्ग डेसीमी० (60 वर्ग फीट) | 150.00                                    | 1500.00       |
| (ङ)— प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग डेसीमी० (5 वर्ग फीट) के लिये           | 50.00                                     | 500.00        |
| (च)— चौराहा अथवा तिराहा पर लगाये गये विज्ञापन                         | क, ख, ग, घ, ङ की दरों से<br>1/2 अधिक होगी |               |

**3— गाड़ियों, साइकिल पर लटकाये हुए विज्ञापन—**

|                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                             | रुपये—         |
| (क)— जीप, कारें, सभी प्रकार की बसें, टैम्पो सभी प्रकार के या ट्रक घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी ऊँट गाड़ी आदि पर प्रतिदिन का शुल्क | 10.00 प्रतिदिन |
| (ख)— साइकिल एवं रिक्शा ढकेल पर प्रतिदिन का शुल्क                                                                            | 20.00 प्रतिदिन |
| (ग)— दीप्तमान विज्ञापनों के लिए विज्ञापन                                                                                    | 40.00 प्रतिदिन |

**4— व्याख्या—**

(एक)— किसी भी विज्ञापन के लगाने या प्रदर्शित करने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में इस हेतु आवेदन-पत्र देना होगा। स्वीकृति मिलने पर ही विज्ञापन लगाये या प्रदर्शित किये जा सकते हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति अधिषासी अधिकारी/प्रशासक द्वारा नियुक्त व्यक्ति देगा।

(दो)— अनुज्ञा बिना विज्ञापन किसी भी समय हटाये या नष्ट किये जा सकते हैं। जिसका उत्तर दायित्व विज्ञापन कर्ता पर होगा।

(तीन)— सार्वजनिक मार्गों के सन्निकट विज्ञापन लगाने की अनुमति यातायात की सुविधा को देखकर की जायेगी।

(चार)— विज्ञापन लगाने अथवा प्रदर्शित करने की सुविधा किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

**शास्ति**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके यह आदेश दिया जाता है कि इस उपविधि (नियमावली) में दिये गये किसी निष्पक्ष या प्राविधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अर्थ दण्ड का भागी होगा जिसके जुर्माना की राशि रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकती है। यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उल्लंघन करता रहे तो प्रथम दोष के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है। जो रु0 50.00 (पच्चास रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

सरिता गुप्ता,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत लालगंजनगर,  
रायबरेली।

**कार्यालय, नगर पंचायत जरवल, बहराइच**

08 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 367 / ग0प्रका0 / न0पं0ज0 / 2024-2025-संख्या-295 / भव0मा0बाई0 / न0पं0ज0 / 2024-25 द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) के सूची (1) का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जरवल द्वारा भवन मानचित्र नियमावली 2024 उपविधि नगर पंचायत जरवल जनपद-बहराइच द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विधिक (शुल्क) उपविधि 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत जरवल बहराइच के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के भीतर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत जरवल बहराइच द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक-24 फरवरी, 2024 प्रस्ताव-04 (2) द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक-05 दिसम्बर, 2024 एवं अपना अखबार में दिनांक-07 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतएव निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**भवन मानचित्र शुल्क नियमावली**

- 1- “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत, जरवल, बहराइच से है।
  - 2- “सीमा” का तात्पर्य वह सीमायें जो शासन से स्वीकृत हैं।
  - 3- “पंचायत” से तात्पर्य निर्वाचित नगर पंचायत बोर्ड से है।
  - 4- “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत, जरवल, बहराइच के अध्यक्ष से है।
  - 5- “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत, जरवल, बहराइच के अधिशाली अधिकारी (एक्जीक्यूटिव ऑफिसर) से हैं।
  - 6- “भवन” का तात्पर्य वह स्थान जो कि चारों ओर या किसी भी साइड से घिरा हुआ हो व्यापारिक भवन-जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।
- गोदाम**-जिस भवन में क्रय या विक्रय के लिये किसी भी प्रकार का माल एकत्रित किया जाता हो तथा रखा जाता है।

**रिहायशी भवन**-जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने के योग्य हो।

**सामाजिक भवन**—जो पूजा या प्रार्थना के लिये प्रयोग होता हो।

**सरकारी भवन**—जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय (वाचनालय) या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता हो।

**हाल-भवन** के अन्दर व बाहर वह कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिये बनाया गया हो, जिसकी लम्बाई 5×5 मीटर से कम न हो।

**कमरा-भवन** का वह कमरा होगा जो सोने, बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता हो, जिसकी नाप कम से कम 100 वर्ग फीट हो।

**स्टोर-कमरा** जिसमें गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता हो, जिसकी नाप कम से कम 25 वर्ग फीट हो।

**रसोई**—जो केवल खाना बनाने के प्रयोग में आता हो तथा उसकी नाप 1.50 मीटर हो।

**बरामदा-भवन** का वह बाहरी भाग जो केवल पिलर पर छाया गया हो और आगे बन्द न होता हो।

**शौचालय**—जो शौचालय के लिये प्रयोग होता हो।

**आवाक**—जिसके द्वारा मकानों के बीच का पानी सरकारी नाली में प्रवेश करता हो और दोनों नज़दीकी मकानों की रोशनी की सुविधा हो। चौड़ाई एक मीटर हो।

**वेंटीलेटर-कमरा** बंद हो जाने के बाद जिससे स्वच्छ हवा का प्रवेश होता रहे और जो दरवाजे की ऊँचाई से अलग होगा।

**छज्जा**—(पालेण्डर) वह ऊपरी भाग हो धूप व पानी रोकने के लिये छत के लेबिल पर बाहर, निकाला गया हो।

**छजली**—जो केवल खिड़की व दरवाजों पर ढकाव के रूप में निकाली गयी हो।

**चौक या आंगन**—मकान का वह खुला भाग जो ढका न हो।

**जंगला**—जो लोहे की सरिया द्वारा बंद हो तथा जिसके द्वारा निकासी न होती हो।

**खिड़की**—वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते हों या हवा आदि के लिये मेन रास्ते पर भी खुलती हो।

**ओरी भवन**—वह हिस्सा जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो या अन्य किसी भी प्रकार का पानी नाली में जाता हो।

**फर्श**—भवन का वह ऊपरी भाग जो समतल हो।

**छत**—भवन का ऊपरी भाग जिससे कमरा इत्यादि/छत के भाग से ढका हो चाहे वह टीन, लकड़ी, ईंट, पत्थर, लिन्टर अन्य किसी पदार्थ से बना हो।

**अलमारी**—कमरे का वह भाग जो दीवार में फिक्स किये जाने के बाद कोई सामान रखने के लिये इस्तेमाल में आता हो।

**अंगेठी**—जो दीवार में आगे को निकली हुयी हो और नीचे का स्थान बाकी हो।

**वाटिका**—भवन का वह खुला भाग, जिसमें साग-भाजी, फुलवाड़ी लगायी जाती हो तथा बैठने-उठने के काम में प्रयोग किया जाता हो।

(1) यह कि नगर पंचायत, जरवल, बहराइच की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की बिना पूर्व मानचित्र स्वीकृति के कोई भवन निर्माण नहीं करेगा, व अन्य किसी प्रकार के भवन का रूप ही देगा।

(2) यह कि नगर पंचायत जरवल, बहराइच से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी—

(अ) आवेदक/आवेदिका को मानचित्र स्वीकृति हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 1.50 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ब) इस प्रार्थना-पत्र के साथ आवेदक/आवेदिका को दो तैयार मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा वह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) आवेदक/आवेदिका इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि वह भूमि जहाँ निर्माण कराना चाहता है, उसकी अपनी है उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुये यह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

(य) जिस ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवायेगा, उसी से उस भवन की अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(र) नक्शे ग्राफ पेपर या ब्ल्यू प्रिंट होंगे और एक तीसरा नक्शा को नगर पंचायत जरवल, बहराइच में रखा जायेगा। वह ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

(3) यह कि कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क या नाली के बाहरी किनारे से 5 फीट भूमि को छोड़कर किया जाये तथा तंग गलियों में 2 फीट भूमि छोड़कर निर्माण किया जायेगा।

#### (4) भवन निर्माण—

(अ) प्रत्येक भवन का निर्माण करते समय यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि भवन में आंगन या वाटिका के लिये कुल क्षेत्रफल  $1/3$  भाग भूमि खाली छोड़ी जाये।

(ब) भवन में इस प्रकार के जंगलो वेंटीलेटर लगवाना अनिवार्य होगा जिससे धूप तथा हवा का आगमन हो सके।

(स) इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की न लगायी जायेगी, जिससे कि बराबर में रहने वाले को परेशानी हो।

(द) छत का पानी नीचे तक पाइप द्वारा ही उतारा जायेगा तथा उसकी नाली सरकारी न होने पर स्वयं अपने व्यय से बनानी होगी। यदि वहां पर सरकारी नाली नहीं है तो आवेदक/आवेदिका को उसके लिए एक सोकपिट अपनी ही भूमि पर निर्माण करवाना होगा।

(य) दो मंजिले पर इस प्रकार कोई शौचालय नहीं बनवाया जायेगा जिसका मलमूत्र पाइप के द्वारा मकान से बाहर होकर नीचे उतरता हो या सड़क के ऊपर गंदगी फैलाता हो।

(र) सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजेक्शन किया जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा तथा नीचे का लेन्टर एक फीट से अधिक नहीं निकाला जायेगा, सड़क पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन नहीं किया जायेगा।

(ल) भवन का नाला सरकारी संघ पर या गली में किसी भी हालत में नहीं गिराया जायेगा।

(व) भवन की सभी नालियों का गंदा पानी स्वामी स्वयं अपनी लागत से पक्की नाली बनाकर नगर पंचायत जरवल की सार्वजनिक नाली तक पहुँचायेगा।

(श) वाटिका या चेक में इस प्रकार का कोई गढ़ा नहीं बनायेगा जिससे कि पानी एकत्रित होता या सड़ता हो।

(त्र) रसोई तथा शौचालय के बीच कम से कम 4 मीटर का फासला अवश्य होगा, शौचालय उत्तर या दक्षिण में इस प्रकार बनेगा जिससे उसकी बदबू रसोई तक ना पहुंचे।

स्वीकृति की विधि:-

(05) जब आवेदक/आवेदिका मय नक्शों के प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा सर्व प्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर वित्त विभाग की रिपोर्ट ली जायेगी जो जांचकर्ता अधिकारी इस प्रकार रिपोर्ट देगा कि इस भूमि का स्वामी कौन है तथा इस मकान पर नगर पंचायत का कोई किसी प्रकार का टैक्स आदि अवशेष नहीं है।

(06) कार्यालय की रिपोर्ट के बाद यह प्रार्थना पत्र मय नक्शे अधिशासी अधिकारी को जांच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर जाकर भूमि तथा प्लान का मिलान करेंगे और अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देंगे। नक्शे के मुताबिक नियमानुसार निर्माण उचित है चौक तथा वाटिका ठीक से सुरक्षित छोड़ दी गई है, रसोई तथा शौचालय की व्यवस्था सही है। स्वास्थ्य के लिहाज से गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है। इस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पंचायत जरवल को किसी प्रकार की सम्पत्ति हानि नहीं है।

(07) इसके पश्चात आवेदक/आवेदिका को यह अवगत कराया जायेगा कि वह नियमानुसार निर्माण फीस जमा करवा दें। निर्माण फीस जमा हो जाने के पश्चात अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद अध्यक्ष के आदेश प्राप्त करके एक स्वीकृति पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से आवेदक/आवेदिका को भेज दिया जायेगा। इस आज्ञा के पश्चात ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घंटे पूर्व नगर पंचायत जरवल, बहराइच कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

(08) यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए होगी यदि इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता है तो आवेदक/आवेदिका कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पंचायत जरवल में स्वीकृति हेतु पत्र प्रस्तुत करेगा और जो फीस पूर्व में जमा है उसका 1/2 हिस्सा पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। इस छः माह की अवधि बढ़ाने के लिए अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, यदि विशेष परिस्थितियों में आवेदक/आवेदिका इसके पश्चात भी समय चाहता है तो यह प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

| क्रम सं० | भवन का प्रकार  | शुल्क प्रति वर्ग फीट  |
|----------|----------------|-----------------------|
| 01       | व्यावसायिक भवन | 10 रु० प्रति वर्ग फीट |
| 02       | आवासीय भवन     | 03 रु० प्रति वर्ग फीट |
| 03       | गोदाम          | 08 रु० प्रति वर्ग फीट |

यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसके फीस उपरोक्त दरों की 1/2 होगी।

(09) निर्माण का प्रार्थना पत्र आने की तिथि से 90 दिन के अन्दर स्वीकृत होना अनिवार्य होगा कोई आपत्ति होने की दशा में आवेदक/आवेदिका को अवगत करायेगा अन्यथा की दशा में आवेदक एक सूचना प्रस्तुत करेगा जिसका समय 7 दिन का होगा। इसके पश्चात वह अपना निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगा।

(10) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि उचित कारण दर्शाते हुए किसी भवन के निर्माण की आज्ञा न दे।

(11) आवेदक/आवेदिका यदि नक्शा स्वीकृति उपरान्त कोई परिवर्तन करता है तो द्वितीय नक्शा तथा प्रथम स्वीकृति नक्शा प्रस्तुत करेगा उपरोक्त अंकित फीस का 1/2 भाग जमा करेगा।

(12) स्वीकृति देने के उपरान्त यदि जनहित में आवश्यक है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए बोर्ड उक्त स्वीकृत नक्शे को भूस्वामी को नोटिस देकर रद्द कर सकता है।

(13) सड़क पर मलबा डालने के लिए हर 50 वर्ग फीट पर 30 दिन के लिए 25.00 रु० मात्र और इससे अधिक दिन के लिए 50.00 रु० शुल्क देय होगा। कार्य समाप्ति पर भूस्वामी पूरा वेस्ट मैटीरियल साफ कराये और यह भी ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा डाले गये मलबे आदि से जल निकासी या रास्ते आदि में कोई रुकावट आदि न आने पाये।

(14) कोई भी प्रोजेक्शन इस प्रकार निर्माण नहीं किया जायेगा जिसका बरसाती पानी पूरे भाग से बहता हो जिसकी निकासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप के द्वारा होगी।

### दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत जरवल बहराइच यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि के प्रस्तर के उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो रु० 5,000.00 मात्र तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रु० 25.00 मात्र प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत जरवल,  
बहराइच।

### **कार्यालय, नगर पंचायत जरवल, बहराइच**

08 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 366/ग०प्रका०/न०पं०ज०/2025-2026-संख्या-294/न०पं०ज०/गजट/2024-25 द्वारा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड-13 बी० का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जरवल द्वारा अचल सम्पत्ति लेखों पर कर नियमावली 2024 उपविधि नगर पंचायत जरवल जनपद-बहराइच द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विधिक (शुल्क) उपविधि 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत जरवल बहराइच के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के भीतर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत जरवल बहराइच द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक-30 सितम्बर, 2023 प्रस्ताव-02 (1) द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में दिनांक-05 दिसम्बर, 2024 एवं अपना अखबार में दिनांक-07 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 15 दिन के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतएव निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

## 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नियमावली

**संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और विस्तार लागू होना।**

1. यह नियमावली नगर पंचायत जरवल, जनपद बहराइच नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर उगाहने से सम्बन्धित कहलायेगी।

2. यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगर पंचायत के भीतर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये।

3. नगर पंचायत जरवल में स्थित अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के समस्त लेख पर लागू होगा।

**परिभाषाएँ :-**

(क) एक्ट का तात्पर्य यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 से है।

(ख) नगर का तात्पर्य जरवल नगर से है।

(ग) शुल्क का तात्पर्य इण्डियन एक्ट सत्र 1899 (एक्ट सं० 2-1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेखों पर शुल्क में से है।

(घ) इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में लागू तथा संशोधित स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 8-1899) से है।

(च) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत बोर्ड के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

(छ) कर का तात्पर्य एक्ट धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड -13 बी० के अधीन लगाये कर से है।

(ज) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेखा पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट के द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा बंधक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा लिया जायेगा।

### 4. कर उगाहने की प्रक्रिया -

उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि प्रसंगिक व्ययों को यदि हुए हो काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रूप से अदा की जायेगी

(1) जब किसी नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई लेखा निबन्धक के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प की धारा 2 में अतिरिक्त ब्योरे निम्नांकित के सम्बन्ध में दस्तावेज में पृथक-पृथक दिये गये हैं।

(क) नगर के भीतर अचल सम्पत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति

(2) यदि ऐसे ब्योरे पृथक-पृथक न दिये गये हो तो निबन्धक अधिकारी उसे कलेक्टर को एक्ट की धारा 128 ए० की उप धारा 4 द्वारा नगर पंचायत पर लागू इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5. कर का लेखा रखना—निबन्धक सहायक निबन्धक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज में पृथक लेखा रखेगा जिसमें वह शुल्क व कर लिखेगा।

6. निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 (एक्ट संख्या — 16,1908) की उप धारा 89 के अधीन दीवानी न्यायालय के द्वारा किये गये विक्रय के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त कर और उन्हें अपनी पुस्तक संख्या —1 में नत्थी कर तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क व कर का लेखा उसी प्रकार रखेगे।

7. निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर के महीने से पृथक—पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा, जिसमें यह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली की गई धनराशि लिखेगा और जिला निबन्धक अधिकारी को उपरोक्त प्रत्येक महीने में पाचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8. जिला निबन्धक अधिकारी ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने की दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण पत्रों के निम्न प्रारूपों में भरकर निम्नांकित को भेजेगा।

#### प्रारूप

यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धारा 128—ए0 की उपधारा (1) के खण्ड 14 बी0 के अन्तर्गत नगर पंचायत जरवल में स्थित अचलसम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखपत्रों पर उगाही गई।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ..... का त्रैमास ..... का जिला

बहराइच से सम्बन्धित विवरण .....

| क्र0सं0 | लेखा पत्रों की कुल संख्या | यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 128—ए की उपधारा 13 (ख) के अन्तर्गत उगाही गई धनराशि | कुल उगाही गई शुल्क |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1       | 2                         | 3                                                                                     | 4                  |
|         |                           |                                                                                       |                    |

निबन्धक महानिरिक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत जरवल, बहराइच।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

9. (1) नगर पंचायत की ओर से उगाही गई कर की धनराशि ऐसे प्रसांगिक व्ययों को जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाये, काट लेने के पश्चात प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी। प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशायी अधिकारी /अध्यक्ष नगर पंचायत प्रत्येक तिथि के अन्त में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की फाइनेंशियल हैडबुक खण्ड —1 के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात उसकी प्रतिलिपि नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी। जो स्वीकृत बिल प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार पर प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) नगर पंचायत निबन्धक और स्टाम्प के कर्मचारी को भी ऐसा भी मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करेगी, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

10. इस नियम के अन्तर्गत उगाही गई धनराशि के लेखकों का निरीक्षण अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष निबन्धक, सहायक निबन्धक अधिकारी के कार्यालय में कर सकेगा। शास्ति यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जरवल, जनपद बहराइच यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड लिया जायेगा जो रू0 100.00 हो सकता है।

(ह0) अस्पष्ट

अध्यक्ष,  
नगर पंचायत जरवल,  
बहराइच।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यादव आशीषकुमार कुंवरबहादुर पुत्र कुंवरबहादुर है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5521 3883 2975 में मेरा नाम यादव आशीषकुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम यादव आशीषकुमार कुंवरबहादुर पुत्र कुंवरबहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाये है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

यादव आशीषकुमार कुंवरबहादुर,  
पुत्र कुंवरबहादुर,  
निवासी- ग्राम कुकुड़ा पो0-बीरापुर,  
तहसील-हण्डिया, जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मनू सिंह पुत्र सविता सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8460 1051 0766 में उसका नाम नमु सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मनू सिंह पुत्र सविता सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सविता सिंह,  
निवासी-लोहट्टी मुठ्ठीगंज,  
प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S Shraddha Industries, पुराना पता Village-Kaserua Kala, Post- Sahson, Tehsil-Phulpur, Allahabad, U.P. है, जिसमें साझेदार क्रमशः 1. Smt Pratibha Kesarwani R/o Kaserua Kala, Sahson, Allahabad. 2- Smt Sneha Kesarwani R/o Kaserua Kala, Sahson, Allahabad, Smt Ekta Kesarwani R/o Kaserua Kala, Sahson Allahabad है। दिनांक 01-04-2018 को फर्म में नए साझेदार के तौर पर दो नए साझेदार क्रमशः 1- Smt-Seema Kesarwani R/o Village Kaserua Kala, Sahson Allahabad एवं 2- Smt- Simran Kesari R/o Village Kaserua Kala, Sahson, Allahabad में सम्मिलित हुए, फर्म का पुराना पता- Village-Kaserua Kala, Post-Sahson, Tehsil-Phulpur, Allahabad, U-P- को परिवर्तित कर नया पता- F-13 UPSIDC Industrial Area Naini, Allahabad U.P.

M/s Shraddha Industries,  
पुराना पता- Village-Kaserua Kala,  
Post-Sahson, Tehsil-Phulpur,  
Allahabad, U.P.  
नया पता- F-13 UPSIDC Industrial Area,  
Naini, Allahabad U.P.

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अक्षत शर्मा पुत्र दिनेश कुमार, माता का नाम अंजू देवी था। मुझे दिनांक 02 मई, 2014 को श्रीमती छविराजी पत्नी वृज बिहारी शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा संख्या-229/232 के आधार पर गोद लिया गया है। दिनांक 02 मई, 2014 से मेरा नाम बदल कर विवेक शर्मा पुत्र वृजबिहारी शर्मा, माता का नाम छविराजी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विवेक शर्मा, पुत्र वृजबिहारी,  
निवासी— ग्राम करौहा, पोस्ट—करोहामान,  
तहसील—मनकापुर, जिला—गोंडा।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यवीर प्रताप सिंह पुत्र स्व० समीर कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—9478 8050 9295 में उसका नाम लोहिताश्व प्रताप सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यवीर प्रताप सिंह पुत्र स्व० समीर कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुपमा सिंह पत्नी स्व० समीर कुमार सिंह,  
पता— अशर्फी नगर, फेज—2, डी0एल0 डब्ल्यू,  
मड़ाव, रोहनिया, वाराणसी।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम कुमारी देवी पत्नी मिश्रीलाल है जो मेरे परिवार रजिस्टर, मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों तथा उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—6823 9555 1611 में मेरा नाम राजकुमारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम कुमारी देवी पत्नी मिश्रीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम कुमारी देवी पत्नी मिश्री लाल,  
निवासी—जासा बघौरा पो० डडवा पकसेड़ा,  
परगना कंतित तहसील सदर मीरजापुर।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नीरज राठौर पुत्र दीपचन्द्र राठौर है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—3044 2575 0681 में उसका नाम यश राठौर अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नीरज राठौर पुत्र दीप चन्द्र राठौर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीप चन्द्र राठौर,  
पता— शास्त्रीनगर तहसील सदर,  
थाना कोतवाली जनपद सुल्तानपुर, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तोषी गुप्ता पुत्री नीरज गुप्ता है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, पैन कार्ड, में अंकित है, विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम तोषी गुप्ता से बदलकर तोषी बरनवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे तोषी बरनवाल पुत्री नीरज गुप्ता पत्नी प्रनव बरनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तोषी गुप्ता पुत्री नीरज गुप्ता,  
पता—3A/111A, AZAD NAGAR,  
NAWABGANJ, KANPUR,  
PO: SWARUP NAGAR,  
DIST: KANPUR NAGAR (UP).

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काजल ओझा पुत्री संजय कुमार ओझा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं०-6480 9470 2836 में उसका नाम वैभव ओझा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काजल ओझा पुत्री संजय कुमार ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार ओझा,

पता— 34/51 के न्याय नगर,

कंधईपुर इलाहाबाद, धूमनगंज, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आलोक यादव पुत्र श्री उमेश यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3242 0803 0232 में मेरा नाम आदर्श अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम आलोक यादव पुत्र श्री उमेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आलोक यादव पुत्र उमेश यादव,

निवासी-वार्ड नं०-7, अटल बिहारी बाजपेई नगर,

फर्रुखा, नगर पंचायत मथौली, तहसील-हाटा,

जिला कुशीनगर, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रताप यादव है, जो कि उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं०-6846 9512 9364 में उसका नाम आयुष यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य

में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राम प्रताप यादव पुत्र स्व० फूलचन्द्र,

पता— सेक्टर जी० 156 शान्तिपुरम,

फाफामऊ, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दीपिका पुत्री अजय कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9238 3880 7341 में उसका नाम अंशु सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीपिका पुत्री अजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अजय कुमार पुत्र फूलचन्द्र,

पता— ग्राम जमुनहिया, पिपराडाड,

थाना कोतवानी देहात तहसील सदर,

मिर्जापुर, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स माँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर/ओ० जौरा मन रखन, कसया जनपद कुशीनगर उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 06 अगस्त, 2020 से श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा एवं श्रीमती सुनीता सिंह जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं G/KUS/0007828 पर पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 11 जनवरी, 2025 से द्वितीय साझेदार श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा जी उक्त फर्म से रिटायर्ड हो चुके हैं, तथा साझेदारी डीड दिनांक 11 जनवरी, 2025 से श्री अनूप कुमार मिश्रा जी उक्त फर्म में द्वितीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। यह की श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा जी दिनांक

20 जनवरी, 2025 को मृतक हो चुके हैं। उक्त फर्म में क्रमशः श्रीमती सुनीता सिंह एवं श्री अनूप कुमार मिश्रा जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

सुनीता सिंह,  
साझेदार,  
मेसर्स माँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,  
आर/ओ० जौरा मन रखन, कसया,  
जनपद कुशीनगर उ०प्र०

### सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० गुरपुष्प वेयरहाउसिंग एण्ड प्रिजर्वेशन, खाता नं०-00248 खसरा नं०-487/2 ग्राम बिचोला, तहसील फतेहाबाद आगरा-283111 में परिवर्तन की सूचना, इस प्रकार हैं—

यह कि दिनांक-01 नवम्बर, 2025 को रामबरन वर्मा पुत्र श्री तिलक सिंह निवासी-2/498 रघुनाथपुरा पिनाहट देहात, आगरा, श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री रामबरन वर्मा निवासी-रघुनाथपुरा, पिनाहट देहात, आगरा, श्री नितिन वर्मा पुत्र श्री रामबरन वर्मा निवासी-उपरोक्त, श्रीमती कृष्णा वर्मा पत्नी श्री नितिन वर्मा निवासी-रघुनाथपुरा थाना पिनाहट पिनाहट देहात, जिला आगरा, एवं श्री ललित कुमार पुत्र श्री रामबरन वर्मा निवासी-रघुनाथपुरा, पिनाहट देहात, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा तद्विनांक को ही श्री हरजीत सिंह पुत्र स्व० गुरबचन सिंह निवासी-11 दया नगर, शमशाबाद रोड, आगरा, भूपिन्दर कौर पुत्री श्री त्रिलोक सिंह निवासी-उपरोक्त, तथा श्री अमरप्रीत सिंह पुत्र श्री हरजीत सिंह निवासी-उपरोक्त उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री रामबरन वर्मा, श्रीमती सुमन देवी, श्री नितिन वर्मा, श्रीमती कृष्णा वर्मा, तथा ललित कुमार साझेदार हैं।

रामबरन वर्मा,  
साझेदार,  
मे० गुरपुष्प वेयरहाउसिंग एण्ड प्रिजर्वेशन,  
खाता नं०-00248 खसरा नं०-487/2,  
ग्राम बिचोला, तहसील फतेहाबाद आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-यूनाइटेज मैन पावर कन्सलटेन्ट निकट केसरवानी पेट्रोल पम्प जंगल सिकरी उर्फ खोराबार, पो० जंगल चौरी, तहसील सदर, गोरखपुर, ऊ०प्र० नामक फर्म मे साझेदारी डीड दिनांक 09 अप्रैल, 2021 से श्री ओम कुमार व श्री मनोज श्रीवास्तव एवं श्री विनय कुमार पाण्डेय जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण GOR/0009663 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से श्री मनोज श्रीवास्तव एवं श्री विनय कुमार पाण्डेय जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके हैं, तथा साझेदारी डीड दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से श्री सूरज पाण्डेय जी उक्त फर्म में द्वितीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री ओम कुमार एवं श्री सूरज पाण्डेय जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

श्री ओम कुमार,  
साझेदार,  
मेसर्स-यूनाइटेज मैन पावर कन्सलटेन्ट,  
निकट केसरवानी पेट्रोल पम्प जंगल,  
सिकरी उर्फ खोराबार, पो० जंगल चौरी,  
तहसील सदर गोरखपुर ऊ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Surajmukhi Cold Storage, Village Pattia, Post Kaiamganj, District Farrukhabad की साझीदार हूँ, फर्म का पंजीयन दिनांक 21.06.2021 को पंजीकरण सं० K/FAR/0009324 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझीदारी में बीना अग्रवाल व रमा अग्रवाल को शामिल किया गया है तथा पूर्व साझीदार श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल व श्री अंकित

अग्रवाल दिनांक 31 मार्च, 2024 से साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म में अब श्री रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री रोहित अग्रवाल, बीना अग्रवाल, रमा अग्रवाल साझीदार हैं।

रवीन्द्र कुमार अग्रवाल,  
पार्टनर,  
M/s Surajmukhi Cold Storage,  
Village Pattia, Post Kaiamganj,  
District Farrukhabad.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s R.H. Cold Storage, Bye Pass, Kampil Road, Kaiamganj, District Farrukhabad-209502 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 21 जून, 2021 को पंजीकरण सं० K/FAR/0009323 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझीदारी में अंकित अग्रवाल, स्मृति अग्रवाल व सोनल अग्रवाल को शामिल किया गया है तथा पूर्व साझीदार श्री रोहित अग्रवाल व बीना अग्रवाल दिनांक 31 मार्च, 2024 से साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म में अब श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, श्री आदित्य अग्रवाल, श्री अंकित अग्रवाल, स्मृति अग्रवाल, सोनल अग्रवाल साझीदार हैं।

अरविन्द कुमार अग्रवाल,  
पार्टनर,  
M/s R.H. Cold Storage, Bye Pass,  
Kampil Road, Kaiamganj,  
District Farrukhabad.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स घामा कोन्ट्रेक्टर, पट्टी चक्रसेनपुर, खेकड़ा, जिला बागपत पंजीकरण संख्या-29343-एम की साझेदारी दि० 20 अगस्त, 2016 के अनुसार साझीदार 1. श्री राहुल धामा, 2. श्री महावीर सिंह थे। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा (Supplementary deed of partnership) दि० 01 अप्रैल, 2021 के अनुसार नितिन धामा पुत्र श्री

महावीर सिंह पता— पट्टी चक्रसेनपुर, खेकड़ा, बागपत फर्म साझेदारी में सम्मिलित हुये। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा (Supplementary deed of partnership) दि० 04 अक्टूबर, 2025 के अनुसार साझीदार श्री राहुल धामा सेवानिवृत्त हुये हैं व श्री रमन सिंह तोमर पुत्र श्री अनंग पाल पता—ग्राम व पोस्ट शिकोहपुर, तहसील बागपत, जिला बागपत, उ०प्र०। नवीन साझीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित हुये हैं। फर्म में वर्तमान साझीदार 1. रमन सिंह, 2. नितिन धामा, 3. महावीर सिंह हैं।

महावीर सिंह,  
साझीदार,  
मेसर्स घामा कोन्ट्रेक्टर, पट्टी चक्रसेनपुर,  
खेकड़ा, जिला बागपत।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस०एस०के० इंडस्ट्रीज पता ई-61, सेक्टर-63, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उ०प्र० की पार्टनरशिप डीड दिनांक 17 अगस्त, 2019 को हुई थी, जिसके अनुसार फर्म में तीन साझीदार 1. श्री सुमित कुमार जुनेजा 2. श्री सचिन जुनेजा 3. कपिल कुमार थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 29 नवम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में से साझेदार नं० 3. श्री कपिल कुमार अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गये हैं, तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन देन बाकी नहीं है, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से फर्म के सभी साझेदारों को है। तथा संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 29 नवम्बर, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री सुमित कुमार जुनेजा 2. श्री सचिन जुनेजा रहेंगे।

सुमित कुमार जुनेजा,  
साझेदार

मेसर्स एस०एस०के० इंडस्ट्रीज,  
पता ई-61, सेक्टर-63, नोएडा,  
जिला गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिनी की फर्म मेसर्स रविन्द्र एसोसिएट्स पता 138, ग्रीन

पार्क बीसलपुर रोड़ बरेली 243006 जिसकी पंजीकरण सं०—BAR/0003802 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 12 जून, 2019 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार श्री अलोक तोमर पुत्र स्व० श्री रविन्द्र सिंह तोमर का दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वर्गवास हो चुका है, उक्त के स्थान पर श्रीमती सुधा तोमर पत्नी श्री रविन्द्र सिंह तोमर निवासिनी मन्दिर वाली गली, नियर मन्दिर 111, आशिष रॉयल पार्क, बरेली उ०प्र० 243001 दिनांक 04 जनवरी, 2025 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो रही है।

उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार हैं कमशः 1. सुधा तोमर 2. सुशील दूहन 3. प्रवीन कुमार साझेदार हैं।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई।

सुधा तोमर,

साझेदार,

मेसर्स रविन्द्र एसोसिएट्स

पता 138, ग्रीन पार्क बीसलपुर रोड़ बरेली।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० वी०के० ट्रांसपोर्ट उत्तर मोहाल. एट/पो०आ० राबर्ट्सगंज सोनभद्र उ०प्र० 231216 रजिस्टर्ड फर्म संख्या SON/0008634 दिनांक 19 फरवरी, 2021 साझेदार फर्म है जिसमें दो साझेदार विवेक कुमार सिंह व धर्मराज सिंह हैं जिसमें एक नई साझेदार ज्योती सिंह D/o धर्मराज सिंह पकरी राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उ०प्र० 231216 जुड़ गई तथा उक्त फर्म से पूर्व साझेदार विवेक कुमार सिंह स्वेच्छा पूर्वक दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को निकल गये हैं, अब कुल दो साझेदार धर्मराज सिंह व ज्योती सिंह फर्म का संचालन करेंगे।

धर्मराज सिंह,

पार्टनर,

मे० वी०के० ट्रांसपोर्ट उत्तर मोहाल,

एट/पो०आ० राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० आनन्द फूड्स पकरी एट/पो०आ० राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उ०प्र० 231216 रजिस्टर्ड फर्म संख्या SON/0000445 दिनांक 19 जून, 2018 साझेदार फर्म में तीन साझेदार श्री रमेश कुमार सिंह, श्रीमती कालिन्दी सिंह व श्रीमती प्रियंका सिंह थे जिसमें दो नये साझेदार श्री विवेक कुमार सिंह व श्रीमती मिथिलेश देवी दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को जुड़ गये, दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को कालिन्दी सिंह व प्रियंका सिंह स्वेच्छा से अलग हो गये उक्त फर्म से पुनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को साझेदार रमेश कुमार सिंह भी स्वेच्छा पूर्वक निकल गये, अब विवेक कुमार सिंह व मिथिलेश देवी ही फर्म का संचालन करेंगी।

विवेक कुमार सिंह,

साझीदार,

मे० आनन्द फूड्स,

पकरी एट/पो०आ० राबर्ट्सगंज,

सोनभद्र, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म तेहरियास हॉस्पिटैलिटी, ए-24 श्री राधापुरम् एनएच-2 गनेसरा, कृष्णा नगर, मथुरा-281004 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं —

यह कि दिनांक-09 जनवरी, 2026 को श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री राजीव तेहरिया निवासी— प्रकाश कुन्ज, गोवर्धन ब्लॉक के सामने, गोवर्धन ब्राह्मण, मथुरा को फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है तथा फर्म के साझेदार श्री अंकुर तेहरिया पुत्र श्री अजीत तेहरिया निवासी— ए-24 श्री राधा पुरम् एनएच-2 गनेसरा, कृष्णा नगर मथुरा, उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में साधवी गौरी तथा श्रीमती सीमा देवी साझेदार हैं।

साधवी गौरी,

साझेदार,

तेहरियास हॉस्पिटैलिटी, ए-24 श्री राधापुरम्,

एनएच-2 गनेसरा, कृष्णा नगर, मथुरा।

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० श्री बाबा नीम करौरी बिल्डर्स, 4/49 आवास विकास कॉलोनी, मैनपुरी-205001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -

यह कि दिनांक-01 जनवरी, 2026 को फर्म के प्रथम साझेदार श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी-4/49 आवास विकास कॉलोनी, मैनपुरी फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री विमलेश कुमार, श्री नीरज यादव, तथा श्रीमती सुमन साझेदार है।

विमलेश कुमार,

साझेदार,

मे० श्री बाबा नीम करौरी बिल्डर्स,

4/49 आवास विकास कॉलोनी, मैनपुरी।

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० राठौर ट्रान्सपोर्ट मैनपुरी, भांवत रोड, निकट भारतीय खाद निगम, मैनपुरी में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं-

यह कि उक्त फर्म से दिनांक-22 जनवरी, 2026 से मनोज कुमार पुत्र श्री बृजेश कुमार निवासी- लालपुर, सथिनी, मैनपुरी जिला मैनपुरी एवं राहुल यादव पुत्र श्री रघुराज सिंह निवासी- ट्रान्सपोर्ट नगर, आगरा बाईपास रोड, मैनपुरी जिला-मैनपुरी को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा तद्दिनांक को ही श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अमरपाल सिंह निवासी-हरिदर्शन नगर मैनपुरी फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री बालकृष्ण सिंह राठौर, श्री मनोज कुमार, श्रीमती पूनम चौहान तथा श्री राहुल यादव साझेदार है।

बालकृष्ण सिंह राठौर,

साझेदार,

मे० राठौर ट्रान्सपोर्ट मैनपुरी, भांवत रोड,

निकट भारतीय खाद निगम, मैनपुरी।

**सूचना**

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० रिद्धी कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स, ग्राम खरपरी भांवत रोड, मैनपुरी-205001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं -

यह कि उक्त फर्म में दिनांक-22 जनवरी, 2026 से दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी- लोक नाइक कॉलोनी कानपुर, जिला कानपुर एवं श्री हरि कुमार पुत्र श्री सूरजपाल निवासी- बैंक कॉलोनी स्टेशन रोड, मैनपुरी जिला मैनपुरी को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा तद्दिनांक को ही श्रीमती पूनम चौहान पत्नी श्री भानुप्रताप सिंह चौहान निवासी- ग्राम खरपरी, मैनपुरी जिला मैनपुरी फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गयी हैं। अब फर्म में श्री दीपेन्द्र सिंह, श्री हरि कुमार तथा श्री शैलेन्द्र सिंह साझेदार है।

शैलेन्द्र सिंह,

साझेदार,

मे० रिद्धी कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स,

ग्राम खरपरी भांवत रोड, मैनपुरी।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शशी (SHASHI) पुत्री महारानीदीन (MAHARANIDEEN) हैं जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 3532 0700 2912 में मेरा नाम आरती पटेल अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शशी (SHASHI) पुत्री महारानीदीन (MAHARANIDEEN) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध मे समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शशी पुत्री महारानीदीन,

निवासिनी- जलालपुर (कमालपुर) भगौतीपुर,

खुरान्ना तहसील सोरांव प्रयागराज।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम माधव (MADHAV) पुत्र हरगोबिन्द है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7502 2143 4304 में उसका नाम पियूष यादव (PIYUSH YADAV) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम माधव (MADHAV) पुत्र हरगोबिन्द के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हरगोबिन्द,  
पता—ग्राम तिलकपुर व पोस्ट बखरिया,  
थाना औरैया, जिला औरैया, उ0प्र0।  
हाल पता— 167 बंगाली कालौनी,  
इटवा जिला इटावा।

**NOTICE**

The name of the deponent's daughter is recorded as Kali (KALI) in Aadhaar Number-5927 3717 7733 which is incorrect, The correct name of the deponent's daughter is Riya Singh, which is also recorded in her educational records The deponent's daughter should be known and identified as Riya Singh in the future.

Rajkumar, son of Parmanand Singh,  
Resident of Pusauli, Post-Sahijan Kalan,  
Police Station and Tehsil-Robertsganj,  
District-Sonbhadra.

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संजू पुत्र अब्बास है जो मेरे पासपोर्ट एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0—8129 3298 4682 में मेरा नाम नूर इस्लाम अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संजू पुत्र अब्बास के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजू पुत्र अब्बास,  
निवासी— बगहा खेरवा,  
अलादादपुर, उन्नाव, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुहानी गुप्ता पुत्री रामजी गुप्ता है। जो कि मेरे बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—5794 1360 6002 में मेरा नाम शिवानी गुप्ता अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुहानी गुप्ता पुत्री राम जी गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुहानी गुप्ता पुत्री राम जी गुप्ता,  
निवासी— रसूलपुर, गोगुमऊ कानपुर,  
देहात, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रेनू पत्नी प्रदीप कुमार है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड एवं पैन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0—3056 1819 8971 में मेरा नाम रीना अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रेनू पत्नी प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रेनू पत्नी प्रदीप कुमार,  
निवासी— 56ए नौरईयाखेड़ा,  
गोविन्द नगर कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अचिंत्य मिश्र पुत्र विनोद कुमार मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5289 8016 5006 में उसका नाम आयुष मिश्रा हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अचिंत्य मिश्र पुत्र विनोद कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनोद कुमार मिश्रा,  
पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा,  
निवासी- ग्राम व पोस्ट शुकुलपुर,  
दहिलामऊ, जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अतीन्द्र एस मिश्रा पुत्र शरद मिश्रा है जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7580 5851 7139 में मेरे पुत्र का नाम कुशाग्र मिश्रा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अतीन्द्र एस मिश्रा पुत्र शरद मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शरद मिश्रा, पुत्र स्व0 कुष्ण कुमार मिश्रा,  
निवासी-104ए/227 पीरोड, रामबाग,  
कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जय किशुन प्रसाद सिंह है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8769 0275 1353 में मेरा नाम जय किशुन प्रसाद अंकित हो गया है,

जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम जय किशुन प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जय किशुन प्रसाद सिंह  
पुत्र स्व0 रामेश्वर प्रसाद सिंह,  
निवासी 224/16सी, मलाकराज  
रामबाग, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद हसीन (MOHAMMAD HASIN) पुत्र मोहम्मद जुम्नन है जो मेरे सभी शैक्षिक अभिलेखों 1-ड्राइविंग लाइसेंस, 2-मकान का टैक्स रसीद, 3-जलकर रसीद, 4-मकान का खसरा, 5-बैंक पासबुक, 6-विद्युत रसीद आदि में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7597 9218 6123 में मेरा नाम मोहम्मद शकील MOHAMMAD SHAKEEL अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद हसीन MOHAMMAD HASIN पुत्र मोहम्मद जुम्नन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मोहम्मद हसीन  
पुत्र मोहम्मद जुम्नन  
निवासी बी 604/8 जी0टी0बी नगर,  
करेली, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम द्विवेदी युगांक प्रवीण (Dwivedi Yugank Praveen) पुत्र प्रवीण द्विवेदी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9204 1639 9372 में मेरा नाम युगांक प्रवीण द्विवेदी (Yugank Praveen Dwivedi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम द्विवेदी युगांक प्रवीण (Dwivedi Yugank Praveen) पुत्र प्रवीण द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

द्विवेदी युगांक प्रवीण,  
निवासी— ग्राम बवलिया बाजीयाफत  
पो0 संग्रामगढ़, तहसील—कुण्डा,  
जनपद—प्रतापगढ़, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्र का सही नाम अक्षत गौड़ (AKSHAT GAUD) पुत्र लवकुश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4020 0557 8798 में उसका नाम लकी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत गौड़ पुत्र लवकुश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लवकुश पुत्र कुन्दन लाल  
नि0—369 भगवानपुर, बहंगरा  
पोस्ट—तिल्हापुर, जिला—कौशाम्बी  
उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम कालिन्दी उपाध्याय जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेरे माध्यमिक विद्यालय परीक्षा हाई स्कूल सर्टिफिकेट रोल नं0 5182051/2018 में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरी माता जी का नाम मेरे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सीबीएसई बोर्ड रोल नं0 23728250/2020 में कंचन उपाध्याय अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मानस उपाध्याय पुत्र प्रदीप उपाध्याय,  
68—ए अशोक नगर ब्लाक—ए,  
तपोवन आश्रम सारनाथ, वाराणसी।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल अनुक्रमांक 5148126 वर्ष 2017 के अंकपत्र में मेरा नाम गलती से Shiv Shakti Upadhyay दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम Shiv Shakti Upadhyay है एवं मेरी माता का नाम Urmila Upadhyay दर्ज हो गया है जो गलत सही नाम Urmila Devi तथा मेरे पिता का नाम Satish Chand Upadhyay दर्ज हो गया है जो गलत है सही नाम Satish Chand है इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में यही नाम अंकित है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिव शक्ति उपाध्याय, पुत्र श्री सतीश चंद,  
ग्राम—ऑन बिलाई पोस्ट—ओनिया अलीनगर,  
गनपतगंज, संतकबीरनगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम साधना कुमारी जायसवाल तथा कुछ शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम साधना जायसवाल पुत्री चुन्नु लाल जायसवाल अंकित है। इसी प्रकार मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरा नाम साधना जायसवाल पुत्री चुन्नु लाल जायसवाल अंकित हो गया है। उपर्युक्त दोनों नाम मेरा ही हैं। भविष्य में मुझे साधना कुमारी जायसवाल पुत्री चुन्नु लाल जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

साधना जायसवाल,  
पुत्री चुन्नू लाल जायसवाल,  
निवासी-मकान नम्बर-174/83,  
बलुआघाट, प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राज कुमार सुत कड़ेदीन है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9085 6551 9445 में मेरा नाम शैलेन्द्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राज कुमार सुत कड़ेदीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राज कुमार,  
पता-इब्राहिमपुर पो0 परसीपुर,  
थाना-हथिगवां, तहसील कुण्डा,  
जनपद-प्रतापगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश सिंह पुत्र राहुल सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 2450 4893 1565 में उसका नाम अर्पित सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांश सिंह पुत्र राहुल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राहुल सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह  
पता-पतेर, पटेरे, कुरु,  
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कुमार ट्रांसपोर्ट, प्लॉट नं0 4, महावीर कालोनी, कमच्छा, वाराणसी में मैं श्रीमती बीनू सिंह पत्नी श्री संजीव कुमार सिंह, निवासिनी प्लॉट नं0 4, महाबीर कालोनी, कमच्छा, वाराणसी व श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 संकटा प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम व पो0 नहोरा, जौनपुर पार्टनर है जिसमें श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 22.12.2025 को उपरोक्त मेसर्स कुमार ट्रांसपोर्ट, से स्वेच्छा व स्वस्थ मस्तिष्क से पृथक हो गये हैं। उपरोक्त मेसर्स कुमार ट्रांसपोर्ट, में बतौर पार्टनर के रूप में दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 से श्री राधेश्याम सिंह पुत्र सुबेदार सिंह निवासी ग्राम सद्दोपुर, बक्सा, जौनपुर उ0प्र0 सम्मिलित हो रहे हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बीनू सिंह,  
पार्टनर  
मेसर्स कुमार ट्रांसपोर्ट, प्लॉट नं0 4,  
महावीर कालोनी, कमच्छा, वाराणसी।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आर्या सिंह पुत्री भानु प्रताप सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9679 0985 3756 में मेरा नाम सिया सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आर्या सिंह पुत्री भानु प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आर्या सिंह पुत्री भानु प्रताप सिंह,  
ग्राम व पोस्ट, असना तहसील चंदौली सदर,  
जिला-चंदौली, उ0प्र0।